भाग –एक

सामान्य

1.1 मध्यप्रदेश के वन – एक दृष्टि में

1.1.1 सामान्य जानकारी

भारत के केन्द्र में स्थित मध्यप्रदेश देश का हृदय स्थल है। प्रकृति से सजा संवरा यह प्रदेश देश के अनेक महत्वपूर्ण नदियों का जलग्रहण क्षेत्र भी है। नर्मदा, सोन, बेतवा, चंबल आदि नदियों का उद्‌गम स्थल भी हमारे प्रदेश में स्थित है। मध्यप्रदेश के वन जैव विविधता से भी परिपूर्ण हैं। एक ओर ग्वालियर, भिंड, राजगढ़ आदि जिलों में झाड़ीदार वन हैं तो दूसरी ओर मण्डला, बालाघाट, डिण्डोरी, बैतूल और शहडोल जिलों में विशाल वृक्षों वाले सागौन और साल के वन हैं।

मध्यप्रदेश प्राचीनतम रहवासी आदिवासियों का प्रमुख आवास स्थल भी है। वनों की सीमा में और उसके समीप बसे ग्रामीणों को रोजगार के अतिरिक्त लघु वनोपज, छोटी इमारती लकड़ी, जलाऊ लकड़ी, बांस, चारा आदि की आपूर्ति की व्यवस्था करना भी वन विभाग का दायित्व है।

1.1.2 महत्वपूर्ण सांख्यिकी

1.1.2.1 वनोपज का उत्पादन

राज्य में मुख्य रूप से सागौन, साल, बांस, खैर, तथा अन्य मिश्रित प्रजातियों के वन पाये जाते हैं। कार्य आयोजना के प्रावधानों के अनुसार कूपों से ईमारती लकड़ी, जलाऊ, बांस व खैर का वन वर्धन के सिद्धांत के अनुसार विदोहन, परिवहन एवं निवर्तन किया जाता है। साथ ही वनोपज की औद्योगिक व व्यापारिक आवश्यकताओं और वन सीमा में बसे ग्रामीणों की घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक व्यवस्था की जाती है। विगत तीन वर्षों में वन क्षेत्रों से काष्ठ एवं बांस उत्पादन का विवरण निम्नानुसार है:–

काष्ठ उत्पादन

वर्ष	सामान्य उत्पादन (घ.मी.)	नर्मदा डूब क्षेत्र से (घ.मी.)	योग (घ.मी.)
2006–07	2,03,232	5,446	2,08,678
2007–08	2,45,907	–	2,45,907
2008–09	2,02,632	–	2,02,632*

* अनंतिम

बांस उत्पादन

वर्ष	औद्योगिक बांस (नो. टन)	व्यापारिक बांस (नो. टन)	योग (नो. टन)
2006–07	1,65,847	99,947	2,65,794
2007–08	64,738	52,946	1,17,684
2008–09	53,796	38,664	92,460

[1 नो. टन = 2400 रनिंग मीटर]

1.1.2.2 निस्तार व्यवस्था

राज्य शासन द्वारा पुनरीक्षित निस्तार नीति 1 जुलाई 1996 से लागू की गई है। इस नीति में निस्तार सुविधा की पात्रता वनों की सीमा से 5 कि.मी. की परिधि में बसे परिवारों को ही दी गई है, जिन्हें घरेलू उपयोग के

लिए बांस, छोटी इमारती लकड़ी (बल्ली), हल–बक्खर बनाने की लकड़ी तथा जलाऊ लकड़ी रियायती दरों पर दी जाती है। इन वनोपजों की पूर्ति के लिए राज्य में 1896 निस्तार डिपो संचालित हैं। इसके साथ–साथ स्वयं के उपयोग के लिये अथवा बिक्री के लिए वनों से सिरबोझ द्वारा गिरी–पड़ी, मरी, सूखी जलाऊ लकड़ी लाने की सुविधा भी पूर्व अनुसार दी जा रही है। राज्य में 24,058 बसोड़ परिवार भी पंजीकृत हैं, जिन्हें रायल्टी मुक्त बांस उपलब्ध कराया जाता है। बांस का उत्पादन सीमित जिलों में होता है एवं उसकी मांग पूरे राज्य में रहती है। बसोड़ों के अलावा अन्य कई जनजातियों के व्यक्ति भी परम्परागत रूप से बांस की सामग्री बनाकर अपना जीवन यापन करते हैं।

प्रदेश में निस्तार व्यवस्था के तहत विगत 3 वर्षो में प्रदाय वनोपज का विवरण निम्नानुसार है –

निस्तार प्रदाय

वर्ष	प्रदायित मात्रा	विक्रय मूल्य (लाख रू.में)	बाजार मूल्य (लाख रू.में)	दी गई रियायत (लाख रू. में)
2006	86.35 लाख नग बांस 3.92 लाख नग बल्ली 0.69 लाख जलाऊ चट्टे	464.24 179.86 115.77	1095.01 309.75 358.85	1003.74
2007	71.62 लाख नग बांस 2.71 लाख नग बल्ली 0.70 लाख जलाऊ चट्टे	438.01 199.84 227.69	1083.15 313.27 522.67	1053.55
2008	66.05 लाख नग बांस 2.31 लाख नग बल्ली 0.66 लाख जलाऊ चट्टे	418.38 178.62 163.73	1098.74 290.56 409.70	1038.27

1.1.2.3 वनों से प्राप्त आय

विगत चार वर्षो में प्राप्त कुल राजस्व का विवरण निम्नानुसार है –

वर्ष	राजस्व लक्ष्य (करोड़ रुपये)	प्राप्त राजस्व (करोड़ रुपये)
2005–06	422.00	490.40
2006–07	460.00	523.11
2007–08	525.00	608.10
2008–09	600.00	685.57

1.1.3 वनों से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण आंकड़े

अ. देश की तुलना में मध्यप्रदेश के वन

	भौगोलिक क्षेत्र	वनक्षेत्र	प्रतिशत वनक्षेत्र	प्रति व्यक्ति वनक्षेत्र
भारत	32,87,263 वर्ग कि.मी.	6,77,088 वर्ग कि.मी	20.60	0.29 हेक्टेयर
मध्यप्रदेश	3,08,245 वर्ग कि.मी	94,689 वर्ग कि.मी.	30.71	0.51 हेक्टेयर

ब. प्रदेश के वनक्षेत्रों की वैधानिक स्थिति

आरक्षित वन	61,886.49	वर्ग कि.मी.
संरक्षित वन	31,098.04	वर्ग कि.मी.
अन्य	1,704.85	वर्ग कि.मी.
कुल वनक्षेत्र	94,689.38	वर्ग कि.मी.

स. प्रदेश के वनों का घनत्व–वार क्षेत्रफल

अति सघन वन	4,239	वर्ग कि.मी.
सघन वन	36,843	वर्ग कि.मी.
विरल वन	34,931	वर्ग कि.मी.
खुला क्षेत्रफल	18,676	वर्ग कि.मी.

द. प्रदेश के वनों के प्रकार और क्षेत्रफल

सागौन वन	18,332.67	वर्ग कि.मी.
साल	3,932.31	वर्ग कि.मी.
बांस	433.73	वर्ग कि.मी.

मिश्रित वन	21,594.87	वर्ग कि.मी.
अन्य एवं रिक्त	50,395.80	वर्ग कि.मी.

य. अन्य

वन ग्रामों की संख्या – 925

संयुक्त वन प्रबंध समितियों की संख्या –

ग्राम वन समिति	9,137
वन सुरक्षा समिति	4,470
ईको विकास समिति	821
कुल	**14,428**

1.2 विभागीय संरचना

वन विभाग की गतिविधियां मुख्यालय स्तर पर विभिन्न शाखाओं के माध्यम से नियंत्रित की जाती हैं। विभाग प्रमुख के रूप में प्रधान मुख्य वन संरक्षक इन शाखाओं के कार्यों पर नियंत्रण रखते हैं तथा दिशानिर्देश देते हैं। प्रधान मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय के अतंर्गत अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मुख्य वन संरक्षक, वन संरक्षक तथा उप वन संरक्षक स्तर के अधिकारी विभिन्न शाखाओं के कार्यों का संपादन करते हैं। इनके अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) व्दारा प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभ्यारण्यों पर प्रशासकीय नियंत्रण रखा जाता है तथा वैज्ञानिक आधार पर वन्य प्राणी संरक्षण सुनिश्चित किया जाता है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कार्य आयोजना एवं वन भू–अभिलेख) द्वारा प्रदेश के वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन हेतु कार्य आयोजना पुनरीक्षण के कार्य का नियंत्रण किया जाता है।

1.2.1 वन विभाग के मुख्यालय स्तर पर कार्यरत शाखाएं –

- कार्य आयोजना
- वन –भू अभिलेख
- वन्यप्राणी
- प्रशासन – एक
- प्रशासन – दो
- विकास
- संरक्षण
- उत्पादन
- वित्त एवं बजट
- अनुसंधान, विस्तार एवं लोक वानिकी
- सूचना प्रौद्योगिकी
- समन्वय
- सतर्कता एवं शिकायत
- प्रोजेक्ट्स
- भू–प्रबंध
- मानव संसाधन विकास
- संयुक्त वन प्रबन्धन एवं वन विकास अभिकरण
- सामुदायिक वन प्रबंधन परियोजना
- विश्व खाद्य कार्यक्रम एवं आजीविका
- नीति विश्लेषण इकाई

1.2.2 क्षेत्रीय कार्यालय

वन क्षेत्रों का वैज्ञानिक प्रबंधन और वन संसाधन का संरक्षण व संवर्द्धन क्षेत्रीय स्तर पर गठित प्रशासनिक इकाईयों के माध्यम से किया जाता है, जिसका विवरण निम्नानुसार है –

क्षेत्रीय इकाईयों का प्रकार	संख्या	इकाईयां
क्षेत्रीय वन वृत्त	16	बालाघाट, बैतूल, भोपाल, छिन्दवाड़ा, ग्वालियर, होशंगाबाद, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, रीवा, सागर, छतरपुर, शहडोल, सिवनी, शिवपुरी एवं उज्जैन।
कार्य आयोजना इकाई	16	बालाघाट, बैतूल, भोपाल, छिन्दवाड़ा, ग्वालियर, होशंगाबाद, इंदौर जबलपुर, खंडवा, रीवा, सागर, छतरपुर, शहडोल, सिवनी, शिवपुरी एवं उज्जैन।
अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त	11	भोपाल, जबलपुर, रीवा, ग्वालियर, सागर, इंदौर, खंडवा, झाबुआ, रतलाम, सिवनी एवं बैतूल।
कार्य आयोजना वृत्त	3	भोपाल, जबलपुर एवं इन्दौर।
राष्ट्रीय उद्यान	9	कान्हा (मंडला), बांधवगढ़ (उमरिया), पेंच (सिवनी), पन्ना, सतपुड़ा (पचमढ़ी), संजय (सीधी), वन विहार (भोपाल), माधव (शिवपुरी) एवं फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान (डिंडोरी)।
क्षेत्रीय वनमंडल	62	उत्तर बालाघाट, दक्षिण बालाघाट, उत्तर बैतूल, दक्षिण बैतूल, पश्चिम बैतूल, भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा, राजगढ़, ओबेदुल्लागंज, छतरपुर, उत्तर पन्ना, दक्षिण पन्ना, टीकमगढ़, पूर्व छिंदवाडा, पश्चिम छिंदवाडा, दक्षिण छिंदवाड़ा, ग्वालियर, दतिया, भिण्ड, मुरैना, श्योपुर, होशंगाबाद, हरदा, इंदौर, धार, झाबुआ, जबलपुर, कटनी, पश्चिम मण्डला, पूर्व मण्डला, डिण्डौरी, खण्डवा, बुरहानपुर, खरगौन, बड़वाह, बड़वानी, सेंधवा, रीवा, सतना, पूर्व सीधी, पश्चिम सीधी, उत्तर सागर, दक्षिण सागर, दमोह, दक्षिण सिवनी, उत्तर सिवनी, नरसिंहपुर, उत्तर शहडोल, दक्षिण शहडोल, उमरिया, अनुपपूर, शिवपुरी, गुना, अशोक नगर, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच, देवास, एवं शाजापुर।
उत्पादन वनमंडल एवं विक्रय इकाई	14	उत्पादन वन मंडल उत्तर बालाघाट, दक्षिण बालाघाट, पश्चिम बालााघाट, बैतूल, सीहोर, रायसेन, छिदंवाडा, हरदा, मण्डला, डिण्डौरी, खंडवा, दक्षिण सिवनी, उत्तर सिवनी, एवं देवास; विक्रय वन मंडल, नई दिल्ली।

वन विद्यालय/ वन प्रशिक्षण संस्थान	9	वन क्षेत्रपाल महाविद्यालय, बालाघाट; वन विद्यालय शिवपुरी, अमरकंटक एवं बैतूल; गोविंदगढ़, झाबुआ, राजीव गांधी सहभागी वानिकी प्रशिक्षण संस्थान, लखनादौन (सिवनी), इंदिरा गांधी वन प्रशिक्षण शाला, पचमढ़ी, जैव विविधता प्रशिक्षण केन्द्र, ताला (उमरिया)।

1.3 प्रशासनिक विषय

1.3.1 वन विभाग की नवीन संरचना

वन विभाग की नवीन संरचना का अनुमोदन वर्ष 1994 से विचाराधीन था। नवीन संरचना अनुमोदित न होने के कारण क्षेत्रीय कर्मचारियों की नियुक्तियां और पदोन्नतियां प्रभावित हो रहीं थीं, जिससे उनका मनोबल भी दुष्प्रभावित हो रहा था। मध्यप्रदेश शासन द्वारा 3.4.2008 को आदेश जारी कर विभाग की नवीन संरचना क्षेत्रीय पदों पर कोई कटौती किए बिना स्वीकृत की गयी। इसके अनुसार विभाग की संरचना निम्नानुसार है –

क्र.	पद	संख्या
1	वनरक्षक	13,997
2	वनपाल	4,184
3	उप वन क्षेत्रपाल	1,257
4	वन क्षेत्रपाल	1,192
5	सहायक वन संरक्षक	358
6	लिपिकीय	2,829
7	चतुर्थ श्रेणी	1,165
8	विविध अन्य	731
9	विविध राजपत्रित	24
कुल		**25,737**

1.3.2 सीधी भरती

विभाग में कई वर्षो से विभिन्न क्षेत्रीय पदों पर सीधी भरती नहीं होने से वन सुरक्षा एवं संवर्धन कार्यो में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। विगत वर्षो में विभिन्न कार्यपालिक पदों पर की गई सीधी भरती से क्षेत्रीय अमले की कमी में सुधार होगा, जिसका विवरण निम्नानुसार है –

1.3.2.1 वन रक्षक

वन रक्षक के पद पर बैकलॉग पदों की भरती व अनुकंपा नियुक्ति को छोड़कर 1986 से सीधी भरती नहीं की गई थी। वर्ष 2008 में वनरक्षकों के 2241 पद सीधी भरती से भरे गये तथा 1312 पदों पर विभाग में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों में से निर्धारित अर्हता रखने वाले श्रमिकों को उच्चतर आयु सीमा में छूट प्रदान करते हुए वनरक्षक के रूप में नियुक्ति दी गयी।

1.3.2.2 वन क्षेत्रपाल

वन क्षेत्रपाल के पद पर भी 1997 के बाद सीधी भरती नहीं हो पाई थी। राज्य शासन की अनुमति उपरांत लोक सेवा आयोग द्वारा वन क्षेत्रपाल के 172 पद भरने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। राज्य शासन द्वारा आगामी पांच वर्षों तक क्रमशः 47, 46, 48, 51 एवं 49 पद सीधी भरती से भरने की एकमुश्त स्वीकृति प्रदान की गयी है।

1.3.2.3 सहायक वन संरक्षक

राज्य में राज्य वन सेवा के 358 पद स्वीकृत हैं। 1991 के बाद सीधी भरती नहीं हो पाने के कारण 61 पद रिक्त थे, जिन्हें भरने की अनुमति राज्य शासन द्वारा दिए जाने के बाद लोक सेवा आयोग द्वारा 12 पद भरने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। राज्य शासन द्वारा आगामी पांच वर्षों तक क्रमशः 12, 13, 12, 12 एवं 11 पद सीधी भरती से भरने की एकमुश्त स्वीकृति प्रदान की गयी है।

1.3.3 पदोन्नति

विभाग के अंतर्गत वर्ष 2008–09 में पदवार किये गये पदोन्नतियों का विवरण निम्न तालिका में दर्शित है –

पद	पदोन्नतियों की संख्या
वन रक्षक से वनपाल	668
वनपाल से उप वन क्षेत्रपाल	434
उप वन क्षेत्रपाल से वन क्षेत्रपाल	321
वन क्षेत्रपाल से सहायक वन संरक्षक	100
कुल	**1523**

1.3.4 भारतीय वन सेवा

भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) की अधिसूचना क्रमांक 16016/ 03/ 2008 ए.आई.एस.–दो (ए) दिनांक 26 अगस्त, 2008 द्वारा मध्यप्रदेश संवर्ग के भारतीय वन सेवा अधिकारियों का संवर्ग पुनरीक्षण किया गया है, जो निम्नानुसार है –

पद	संख्या
प्रधान मुख्य वन संरक्षक	3
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक	10
मुख्य वन संरक्षक	68
वन संरक्षक	34
उप वन संरक्षक	65
कुल वरिष्ठ पद	**180**
केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व	36
राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व	45
प्रशिक्षण रिजर्व	6
छुट्टी रिजर्व तथा कनिष्ठ पद रिजर्व	29
कुल प्राधिकृत संख्या	**296**
पदोन्नति से भरे जाने वाले पद	**89**
सीधी भरती से भरे जाने वाले पद	**207**
योग	**296**

1.3.5 अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

शहीद कर्मियों के आश्रितों को सहायता: वनों की सुरक्षा में शहीद होने वाले वनकर्मियों को राज्य शासन द्वारा वर्ष 1999 में रूपये 1.00 लाख की सहायता राशि प्रदान करने का प्रावधान किया गया था। राज्य शासन के जून 2008 में जारी आदेश द्वारा यह सहायता राशि बढ़ाकर रूपये 10.00 लाख की गई।

वनग्रामों के कोटवारों के मानदेय में वृद्धि: राज्य के वनग्राम कोटवारों को वर्ष 1985 से रूपये 65 प्रतिमाह का मानदेय स्वीकृत था। राज्य शासन द्वारा वर्ष 2008 में वनग्रामों के कोटवारों को राजस्व ग्रामों के कोटवारों के समान मानदेय व अन्य सुविधायें प्रदान करने का निर्णय लिया गया, जिसके फलस्वरूप अब वनग्रामों के कोटवारों को रूपये 1500 प्रतिमाह तक मानदेय प्रदान किया जा सकेगा।

अनुकम्पा नियुक्तिः वर्ष 2008–09 में अनुकम्पा नियुक्ति के 47 प्रकरणों में कार्यवाही कर आवेदनकर्ताओं को नियुक्ति प्रदान की गई।

1.3.6 विधान सभा प्रश्न एवं आश्वासन

विगत तीन वर्षों में प्राप्त विधान सभा प्रश्नों की जानकारी निम्नानुसार है –

वर्ष	प्राप्त प्रश्नों की संख्या	लंबित प्रश्नों की संख्या
2006	256	9
2007	430	22
2008	165	3

विगत तीन वर्षों में प्राप्त विधान सभा आश्वासनों की जानकारी निम्नानुसार है –

वर्ष	प्राप्त आश्वासनों की संख्या	लंबित आश्वासनों की संख्या
2006	44	5
2007	70	12
2008	24	16

1.4 विभाग के दायित्व

विभाग का दायित्व वनों का वैज्ञानिक दृष्टि से प्रबंधन करना है, ताकि वनों की संवहनीयता बनाये रखते हुए उनका संरक्षण व संवर्धन किया जा सके, स्थानीय लोगों को उनकी आवश्यकता के वन उत्पाद यथासंभव प्राप्त हो सकें, तथा वन आधारित उद्योगों को कच्चे माल की पूर्ति की जा सके। इन दायित्वों के निर्वहन के लिए विभाग की निम्न प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं –

1. वन एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण।
2. वन क्षेत्रों में जैव विविधता संरक्षण।
3. वनों का विकास तथा बिगड़े वनों का सुधार करते हुए उत्पादकता बढ़ाना।
4. वनेत्तर भूमि पर वृक्षारोपण को बढ़ावा देना।
5. वैज्ञानिक विधि से वनों का समयबद्ध विदोहन कर वनोपज को समय से बाजार में उपलब्ध कराने की व्यवस्था करना।
6. निस्तार प्रदाय की व्यवस्था करना।
7. भूमि स्वामी क्षेत्र पर उपलब्ध वनोपज के विदोहन एवं निवर्तन हेतु लाभकारी प्रणाली स्थापित करना।
8. वनोपज के निवर्तन से राजस्व अर्जन करना।

9. उपरोक्त समस्त दायित्यों को पूर्ण करने हेतु वनों की सुरक्षा एवं प्रबंधन में जन भागीदारी सुनिश्चित करना।

10. वन प्रबंधन में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करना।

11. ईकोपर्यटन को बढ़ावा देते हुए वनों के बारे में आम जनता में जागरूकता का विकास करना।

1.5 विभाग के अंतर्गत आनेवाले मंडल, उपक्रम व संस्थाओं का विवरण

मध्य प्रदेश वन विभाग के अन्तर्गत निम्नलिखित चार उपक्रम कार्यरत हैं –

1.5.1 मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम

राष्ट्रीय कृषि आयोग की अंतरिम रिपोर्ट, 'प्रोडक्शन फारेस्ट्रीः मैन–मेड फारेस्ट्स' (1972) के आधार पर मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम की स्थापना 24 जुलाई 1975 को की गई थी। निगम की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य निम्न कोटि के वन क्षेत्रों को तेजी से बढ़ने वाली बहुमूल्य तथा बहुउपयोगी प्रजातियों के रोपण द्वारा उच्च कोटि के वनों में परिवर्तित कर उत्पादन क्षमता में सुधार लाना है। निगम से संबंधित विवरण **परिशिष्ट एक** में दिया गया है।

1.5.2 मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ

मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ का गठन 1984 में लघु वनोपजों के संग्रहण और व्यापार हेतु किया गया था। 1989 में इस व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ और प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य कमजोर वर्ग के ग्रामीणों के समाजिक–आर्थिक उत्थान हेतु वनोपज के संग्रहण तथा विपणन का कार्य सहकारी समितियों के माध्यम से किये जाने का निर्णय लिया गया। लघु वनोपज संघ से संबंधित विस्तृत आलेख **परिशिष्ट दो** में संलग्न है।

1.5.3 राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर

राज्य वन अनुसंघान संस्थान, जबलपुर वर्ष 1963 में अस्तित्व में आया। राज्य शासन के 29 अक्टूबर 1994 को जारी आदेश द्वारा इसे स्वायत्तशासी संस्थान घोषित किया गया। यह संस्थान वन वनस्पति, वनवर्धन, वृक्ष सुधार, बीज तकनीकी, जैव विविधता, वन अनुवांशिकी, जैव प्रौद्योगिकी, वनोपज विपणन, वन विस्तार, वन मापिकी, पर्यावरणीय प्रभाव आदि विषयों में शोध एवं तकनीक विकसित कर उनके प्रचार प्रसार का कार्य करता है। संस्थान की गतिविधियों का विवरण **परिशिष्ट तीन** में सम्मिलित है।

1.5.4. मध्यप्रदेश ईकोपर्यटन विकास बोर्ड

मध्यप्रदेश के प्राकृतिक सौन्दर्य से परिपूर्ण वन क्षेत्रों में पर्यटन को विकसित करने के लिये मध्य प्रदेश ईकोपर्यटन विकास बोर्ड का गठन 12 जुलाई 2005 को किया गया। बोर्ड का उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों में अभिरूचि जागृत करने के साथ–साथ उनके संरक्षण के प्रति भी जागरूकता लाना, ईकोपर्यटन गंतव्य स्थलों पर अधोसंरचना विकास करना और इन गतिविधियों के माध्यम से स्थानीय समुदायों को रोजगार उपलब्ध कराना है। बोर्ड से संबंधित एक आलेख **परिशिष्ट चार** में दिया गया है।

– – – – –

भाग – दो

वित्तीय प्रावधान

2.1 बजट विहंगावलोकन

विगत तीन वर्षों के योजना प्रावधान और व्यय का विवरण निम्न तालिकाओं में दर्शित है।

राज्य योजनाएं (राशि लाख रूपये में)

योजना का नाम	2006–07		2007–08		2008–09	
	प्रावधान	व्यय	प्रावधान	व्यय	प्रावधान	व्यय
1. भूमि एवं जल संरक्षण	106.01	71.51	100.00	99.03	100.00	97.10
2. प्रशासन सुदृढ़ीकरण	60.00	61.94	185.00	176.98	350.00	315.98
3. वन संसाधनों का सर्वेक्षण/ उपयोग	42.45	36.53	0.00	0.00	0.00	0.00
4. पर्यावरण वानिकी	150.00	147.65	325.00	305.14	600.00	598.31
5. कार्य आयोजना का क्रियान्वयन	13543.60	12767.19	17843.03	17672.79	16691.76	16141.53
6. वन विकास उपकर निधि से व्यय	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
7. वन प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन	35.00	34.70	50.00	47.77	60.00	57.67
8. कार्यालय एवं सू.प्रौ. का उपयोग	5.00	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00
9. कर्मचारी कल्याण योजना	25.00	25.00	40.00	38.50	50.00	47.15
10. लोक वानिकी एवं पौधा तैयारी	25.00	24.96	1312.10	1338.03	563.15	555.85
11. सड़क, भवन एवं चौकी निर्माण	150.00	149.22	400.00	459.68	2463.00	2342.29
12. वन सुरक्षा चौकियों की स्थापना	75.00	66.57	0.00	0.00	0.00	0.00
13. संरक्षित क्षेत्रों से ग्रामों का पुनर्वास एवं मुआवजा	0.00	0.00	3700.00	3387.85	500.00	496.52
14. अध्ययन एवं अनुसंधान	0.00	0.00	0.10	0.10	40.00	39.35
15. वनों के अनुरक्षण हेतु अनुदान	2300.00	2111.82	2300.00	2280.55	2300.00	2249.12
16. जापान सोशल डेवलपमेंट फण्ड	0.00	0.00	292.27	210.99	400.00	124.58
17. ओंकारेश्वर निधि से व्यय	0.00	0.00	500.00	469.12	500.00	476.34
18. टाइगर कंर्जेवेशन सेल की स्थापना*	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	1000.00
योग	**16517.16**	**15501.94**	**27047.60**	**26486.53**	**25344.61**	**24541.79**

*उक्त योजना का प्रावधान तृतीय अनुपूरक अनुमान में होने के कारण राशि के–डिपाजिट में जमा की गई है।

केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (राशि लाख रूपये में)

योजना का नाम		2006–07		2007–08		2008–09	
		आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय
1. राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्यों का विकास (प्रोजेक्ट टाइगर)	राज्यांश	500.00	348.64	480.90	437.64	620.00	491.32
	केन्द्रांश	652.94	573.93	1315.30	2921.87	5379.60	5364.53
2. केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के माध्यम से वन्य प्राणी विकास	राज्यांश	20.00	9.98	38.50	8.32	38.50	30.99
	केन्द्रांश	73.00	121.76	0.00	0.00	0.00	0.00
3. राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्यों का विकास	राज्यांश	75.00	1.63	124.00	113.59	150.00	241.09
	केन्द्रांश	546.85	578.72	1058.01	868.28	1037.51	613.59
4. वनों में आधुनिक अग्नि सुरक्षा योजना	राज्यांश	212.25	111.56	125.00	181.00	264.75	111.34
	केन्द्रांश	636.75	334.69	475.00	548.04	794.25	334.03
योग	राज्यांश	807.25	471.81	768.40	740.55	1073.25	874.74
	केन्द्रांश	1909.54	1609.10	2848.31	4338.19	7211.36	6312.15

केन्द्र क्षेत्रीय योजनाएं (राशि लाख रूपये में)

योजना का नाम	2006–07		2007–08		2008–09	
	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय
1. ईको डेवलपमेंट	231.40	110.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2. एकीकृत पड़त भूमि विकास	59.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. हितग्राही मूलक आदिवासी विकास योजना	230.00	170.96	0.00	0.00	0.00	0.00
4. राष्ट्रीय जल तंत्र सरंक्षण कार्यक्रम	30.00	29.80	34.25	38.76	37.50	19.72
योग	**550.60**	**310.88**	**34.25**	**38.76**	**37.50**	**19.72**

2.2 आयोजनेत्तर व्यय

आयोजनेत्तर मदों के अंतर्गत विभागीय कार्यों के आवर्ती व्यय के लिए वित्तीय प्रावधान किया जाता है। मुख्य बजट मदों के अंतर्गत किये जाने वाले व्यय का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है।

2.2.1 वेतन एवं भत्ते

इस मद में विभाग के लगभग 1800 अधिकारी (भारतीय वन सेवा, राज्य वन सेवा तथा वन क्षेत्रपाल) तथा लगभग 23,500 कर्मचारियों के वेतन, चिकित्सा भत्तों, यात्रा भत्तों तथा अवकाश यात्रा भत्तों आदि का भुगतान किया जाता है। इस मद में विगत वर्षो में पुराने कर्मचारियों के नियमित सेवा निवृत्त होने परन्तु नयी

भर्ती न होने के कारण आबंटन से कम व्यय हुआ है। परन्तु 2008–09 में राज्य में 1.9.2008 से छठवां वेतन मान लागू होने से वेतन भत्ते मद में आबंटन से अधिक व्यय हुआ है।

2.2.2 मजदूरी

इस मद में प्रदेश में कार्यरत लगभग 8,700 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों (चौकीदार, अनुबंध पर कार्यरत कम्प्यूटर आपरेटर, आदि) के वेतन का भुगतान किया जाता है। शासनादेशानुसार 1.9.2008 से 10 वर्ष तथा 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों का परिश्रमिक क्रमशः रूपये 500 व रूपये 1000 बढ़ाने के कारण मजदूरी मद में वर्ष 2008 –09 में आबंटन से अधिक व्यय हुआ है ।

2.2.3 अन्य मद

'कार्यालय व्यय' के अंतर्गत वाहनों के पेट्रोल आदि, कार्यालय के विद्युत व टेलीफोन बिल, कर्मचारियों की वर्दी, स्टेशनरी, कम्प्यूटर व अन्य उपकरण तथा अन्य कार्यालयीन व्ययों का भुगतान किया जाता है। 'अनुरक्षण कार्य' मद में वाहनों के मरम्मत आदि के बिलों का भुगातन किया जाता है। 'भवनों एवं सड़कों की मरम्मत' मद में लगभग 15,000 शासकीय भवनों तथा 38,000 किमी. वन मार्गों का रख रखाव किया जाता है। 'इमारती लकड़ी, बांस एवं खैर' मद में मुख्य वनोपजों के विदोहन, परिवहन आदि कार्यों का भुगतान किया जाता है। 'अनुग्रह अनुदान' मद में राज्य वन अनुसंधान संस्थान एवं जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय को अनुसंधान कार्यों के लिए अनुदान दिया जाता है। 'लाभांश' मद में इमारती लकड़ी एवं बांस से अर्जित आय से लाभांश का प्रदाय संयुक्त वन प्रबंध समितियों को किया जाता है। 'करों एवं रायल्टी का भुगतान' मद में इमारती लकड़ी आदि के विक्रय से अर्जित वाणिज्यिक कर भुगतान वाणिज्यिक कर विभाग को किया जाता है। 'विज्ञापन, अन्य प्रचार सामग्री व पूर्तियां तथा अन्य व्यय' मद के अंतर्गत विभाग के जनोपयोगी कार्यक्रमों के प्रचार–प्रसार तथा गणतंत्र दिवस पर विभागीय कार्यकलापों पर आधारित झांकी पर होने वाला व्यय भारित किया जाता है। वृक्षों के चिन्हांकन आदि के लिए सामग्री क्रय पर तथा वन विहार, भोपाल आदि केन्द्रों पर कैप्टिविटी में रखे गए वन्यप्राणियों हेतु भोजन आदि के क्रय पर होने वाला व्यय भी इस मद में भारित किया जाता है।

2.2.4 गोपनीय सेवा, क्षतिपूर्ति एवं पुरस्कार

इस मद में वन अपराधों का पता लगाने हेतु मुख़बिरों को सेवा व्यय का भुगतान किया जाता है। इसके अतिरिक्त हिंसक पशुओं के विनाश के लिये तथा वन अपराध का पता लगाने के लिये कार्यपालिक कर्मचारियों को पारितोषिक, पुरस्कार और सम्मान प्रदान किया जाता है। साथ ही वन्यप्राणी द्वारा जन हानि करने पर संबंधित व्यक्ति अथवा उसके परिजनों को क्षतिपूर्ति की राशि प्रदान की जाती है।

2.2.5 वन विकास निधि में अंतरण एवं डिक्री धन का भुगतान (भारित मद)

विभाग में वन विकास उपकर के रूप में प्राप्त निधि के वन विकास निधि में अंतरण की स्वीकृति राज्य शासन से प्राप्त होने के उपरान्त इस राशि का उपयोग वन विकास कार्यों में किया जाता है। वर्ष 2007–08 में वन

विकास उपकर की राशि वन विकास निधि में जमा कराने की स्वीकृति वित्त विभाग से प्राप्त न होने के कारण वन विकास कार्यों हेतु व्यय नहीं की जा सकी है। विभाग के विभिन्न न्यायालयीन प्रकरणों में माननीय न्यायालय के आदेशानुसार वादी को संबंधित राशि का भुगतान डिक्री धन के रूप में किया जाता है।

विगत तीन वर्षों के आयोजनेत्तर बजट प्रावधान तथा व्यय का विवरण निम्न तालिका में दर्शित है।

आयोजनेत्तर बजट प्रावधान तथा व्यय (राशि लाख रूपये में)

मद	वर्ष 2006–07		वर्ष 2007–08		वर्ष 2008–09	
	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय
1. वेतन एवं भत्ते	23559.41	21162.54	25255.07	23046.48	28711.22	29449.72
2. मजदूरी	3980.40	4082.31	4463.46	4023.87	4292.70	4958.64
3. कार्यालय व्यय	1579.67	1256.16*	1685.07	1248.03*	1831.42	1297.92*
4. अनुरक्षण कार्य	166.23	126.62*	304.51	177.27*	151.01	115.06*
5. भवनों, सड़कों का रखरखाव	998.50	933.09	1406.00	1342.74	1200.00	1088.37
6. इमारती लकड़ी, बांस, खैर	7876.42	6666.26	7920.48	7870.14	9204.98	8333.77
7. अनुग्रह अनुदान	207.60	187.34	226.10	207.01	226.10	295.00
8. गोपनीय सेवा, क्षतिपूर्ति, पुरस्कार	94.90	85.57	124.00	149.55	113.96	187.91
9. लाभांश	1951.00	1950.91	2867.59	2694.02	2000.00	1904.57
10. कर एवं रायल्टी	5733.00	4901.50	5493.85	5318.84	5812.88	5757.02
11. विज्ञापन, सामग्री, पूर्तियां, अन्य	149.72	121.63	159.49	155.85	166.53	160.05
12. भारित मद (डिक्री धन)	1150.00	1125.00	1390.00	87.24	928.00	11.45
योग	**47446.85**	**45598.93**	**51295.62**	**46321.04**	**54638.80**	**53559.48**

*2006–07 तथा 2007–08 में की गयी 10 प्रतिशत कटौती की राशि विमुक्त न किये जाने अथवा विलम्ब से विमुक्त किये जाने, तथा 2008 –09 में कटौती की राशि 15 प्रतिशत कर दिए जाने के कारण वर्ष हेतु आबंटित राशि से कम व्यय हुआ।

– – – – –

भाग –तीन

योजनाएं

3.1 राज्य योजनाएं

3.1.1 भूमि एवं जल संरक्षण

इस योजना के अंतर्गत वन भूमि में आवश्यकतानुसार चेक डैम, गली प्लगिंग, कंटूर ट्रेंचिग, सीमित रोपण आदि कार्य होते हैं। मुख्यतः होशंगाबाद, ग्वालियर, इन्दौर, उज्जैन और खंडवा वृत्तों में यह कार्य लिए गए। विगत वर्षो में प्राप्त आर्थिक लक्ष्य एवं उपलब्धि का विवरण निम्नानुसार है –

(क्षेत्रफल हेक्टेयर में; राशि लाख रूपये में)

वर्ष	भौतिक लक्ष्य	भौतिक उपलब्धि	आर्थिक लक्ष्य	आर्थिक उपलब्धि
2005–06	400	395	96.59	85.87
2006–07	400	400	106.01	71.51
2007–08	200	200	100.00	99.03
2008–09	200	200	100.00	97.10

3.1.2 प्रशासन सुदृढ़ीकरण

प्रशासन सुदृढ़ीकरण की योजना 1988–89 में प्रारंभ की गई। इस योजना के अंतर्गत संसूचना, आवागमन के साधनों तथा शस्त्रों का प्रावधान किया जाता है। विगत वर्षो के लक्ष्य एवं व्यय निम्नानुसार हैं –

(राशि लाख रु0 में)

वर्ष	आर्थिक लक्ष्य	आर्थिक उपलब्धि
2005-06	50.00	49.21
2006-07	60.00	61.94
2007-08	185.00	176.98
2008-09	350.00	315.98

3.1.3 वन संसाधनों का सर्वेक्षण एवं उपयोग

इस योजना के अन्तर्गत भौगोलिक सूचना प्रणाली के विकास का कार्य किया जा रहा है। इस प्रणाली व्दारा क्षेत्र की भौगोलिक सीमाएं, वानस्पतिक आवरण, घनत्व, जलवायु आदि कम्प्यूटर पर विभिन्न सतहों के रूप में संचित की जाती हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य कार्य आयोजना हेतु सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों को कम्प्यूटर में प्रविष्ट कराकर एकीकृत मानचित्र तैयार करना है। वर्ष 2006–07 में रूपये 42.45 लाख के आबंटन के विरूद्ध रूपये 36.53 लाख का व्यय किया गया। यह योजना 2007–08 से प्रशासन सुदृढ़ीकरण योजना के अन्तर्गत सम्मिलित की गई है।

3.1.4 पर्यावरण वानिकी

यह योजना 1983–84 से प्रारंभ की गई है। योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में रोपण किया जाता है। इसका उद्देश्य छोटे पार्कों, सड़क किनारे एवं अन्य सामुदायिक क्षेत्रों में रोपण द्वारा शहरों में हरियाली लाना है। विगत वर्षो में प्राप्त आर्थिक आबंटन तथा व्यय का विवरण निम्नानुसार है –

(राशि लाख रूपये में)

वर्ष	आर्थिक लक्ष्य	आर्थिक उपलब्धि
2005–06	120.00	120.31
2006–07	150.00	147.65
2007–08	325.00	305.14
2008–09	600.00	598.31

3.1.5 कार्य आयोजनाओं का क्रियान्वयन

इस योजना के अंतर्गत 0.4 से कम घनत्व वाले वन क्षेत्रों का वनीकरण किया जाता है और जैविक दबावों से वन क्षेत्रों को सुरक्षा देकर आवश्यकतानुसार भूमि एवं जल संरक्षण तथा वनीकरण कर वनों का पुनर्स्थापन और पुनरूत्पादन किया जाता है। आवश्यकतानुसार घास रोपण कर भूमि को मृदा संरक्षण के लिए आच्छादित किया जाता है। विगत वर्षो में कराये गये कार्यो हेतु प्राप्त आबंटन तथा उस पर हुये व्यय का विवरण निम्नानुसार है –

(क्षेत्रफल हेक्टेयर में; राशि लाख रूपये में)

वर्ष	भौतिक लक्ष्य	भौतिक उपलब्धि	आर्थिक लक्ष्य	आर्थिक उपलब्धि
2005–06	2,70,792	2,68,031	11437.94	10928.87
2006–07	2,75,585	2,74,287	13543.60	12767.19
2007–08	3,34,144	2,93,190	17843.03	17672.79
2008–09	3,08,428	2,97,823	16691.76	16141.53

3.1.6 वन प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन

वन क्षेत्रपाल महाविद्यालय, तीन वन विद्यालयों तथा 5 वन रक्षक प्रशिक्षण शालाओं में कर्मचारियों तथा वन समिति सदस्यों के प्रशिक्षण हेतु उपकरणों आदि के प्रदाय एवं प्रशिक्षण पर व्यय इस योजना के अंतर्गत किया जाता है। विगत वर्षो के प्रावधान तथा व्यय की स्थिति निम्न तालिका में दर्शित है।

(राशि लाख रूपये में)

वर्ष	आर्थिक लक्ष्य	आर्थिक उपलब्धि
2005–06	30.00	28.45
2006–07	35.00	34.70

2007–08	50.00	47.77
2008–09	60.00	57.67

3.1.7 कर्मचारी कल्याण योजना

इस योजना के अंतर्गत दूरस्थ क्षेत्रों में पदस्थ वन कर्मचारियों को मूलभूत सुविधाएं (पीने का पानी, बिजली, भवन, शौचालय, खेलकूद के साधन आदि) उपलब्ध कराई जाती हैं। विगत वर्षो में किये गये आबंटन एवं व्यय का विवरण निम्नानुसार है –

(राशि लाख रूपये में)

वर्ष	आर्थिक लक्ष्य	आर्थिक उपलब्धि
2005–06	20.00	20.15
2006–07	25.00	25.00
2007–08	40.00	38.50
2008–09	50.00	47.15

3.1.8 लोक वानिकी एवं रोपणियों में पौधा तैयारी कार्य

इस योजना के अन्तर्गत निजी अथवा राजस्व भूमि पर आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रजातियों के वृक्षारोपण के लिये क्षमता विकास किया जाता है। लोक वानिकी योजना वनीकरण हेतु निजी पूंजी निवेश के प्रोत्साहन के लिए उपयोगी है। योजनांतर्गत कार्यशालाएं, किसान सम्मेलन, प्रशिक्षण, प्रशिक्षण–सह–अध्ययन प्रवास आदि कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। विगत वर्षो में किये गये आबंटन एवं व्यय का विवरण निम्नानुसार है –

(राशि लाख रूपये में)

वर्ष	आर्थिक लक्ष्य	आर्थिक उपलब्धि
2005–06	50.00	49.07
2006–07	25.00	24.96
2007–08	1312.10	1338.03
2008–09	563.15	555.85

3.1.9 सड़क, भवन एवं चौकी निर्माण कार्य

इस योजना के अंतर्गत दूरस्थ क्षेत्रों में कर्मचारियों के लिए आवास गृहों, लाईन क्वार्टर तथा वन चौकियों का निर्माण किया जाता है। विगत वर्षो की भौतिक व आर्थिक उपलब्धियां निम्नानुसार हैं –

(राशि लाख रूपये में)

वर्ष	भौतिक लक्ष्य	भौतिक उपलब्धि	आर्थिक लक्ष्य	आर्थिक उपलब्धि
2005–06	125 भवन	125 भवन	200.00	205.41
2006–07	78 भवन	78 भवन	150.00	149.22
2007–08	78 भवन, 25 चौकी,	78 भवन, 25 चौकी	400.00	459.68

वर्ष	भौतिक लक्ष्य	भौतिक उपलब्धि	आर्थिक लक्ष्य	आर्थिक उपलब्धि
	6 लाईन क्वार्टर	6 लाईन क्वार्टर		
2008–09	370 भवन, 38 चौकी, 16 लाईन क्वार्टर	362 भवन, 38 चौकी 16 लाईन क्वार्टर	2463.00	2342.29

3.1.10 संरक्षित क्षेत्रों से ग्रामों का पुनर्वास एवं संरक्षित क्षेत्रों में अधिकारों के अर्जन हेतु मुआवजा

यह योजना 2007–08 में प्रारम्भ की गई। इसका उद्देश्य वन्यप्राणी धरोहर का संरक्षण और इस कार्य में स्थानीय समुदायों का सहयोग प्राप्त करना है। वन्यप्राणियों व्दारा की गई फसल नुकसानी का मुआवजा देना एवं अन्य कार्यक्रम इस योजना में सम्मिलित हैं। विगत वर्षो के आबंटन और व्यय की जानकारी इस प्रकार है –

(राशि लाख रूपये में)

वर्ष	आर्थिक लक्ष्य	आर्थिक उपलब्धि
2007–08	3700.00	3387.85
2008–09	500.00	496.52

3.1.11 अध्ययन एवं अनुसंधान

यह योजना 2007–08 में प्रारम्भ की गई। योजना का उद्देश्य राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर को अध्ययन और अनुसंधान परियोजनाओं के संचालन हेतु राशि उपलब्ध कराना है। योजना में प्राप्त आबंटन तथा व्यय की जानकारी निम्नानुसार है –

(राशि लाख रूपये में)

वर्ष	आर्थिक लक्ष्य	आर्थिक उपलब्धि
2007–08	0.10	0.10
2008–09	40.00	39.35

3.1.12 वनों के अनुरक्षण हेतु अनुदान (बारहवां वित्त आयोग)

बारहवें वित्त आयोग द्वारा विशेष आर्थिक सहायता के रूप में पांच वर्षों (2005–06 से 2009–10) के लिए रूपये 115.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके अन्तर्गत उच्च तकनीकी वृक्षारोपण, शहरी एवं पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में वन विहीन पहाड़ियों का पुनर्वनीकरण, वन्यप्राणी संरक्षण, वन्यप्राणियों से फसलों की सुरक्षा हेतु चेनलिंक फेंसिंग तथा पत्थर की दीवार का निर्माण, शस्त्रों, दूर संचार यंत्रों और अग्नि सुरक्षा उपकरणों का प्रदाय, बिगड़े वनक्षेत्रों में उच्च उत्पादकता वाले असिंचित वृक्षारोपण, मध्यप्रदेश वन विकास निगम तथा ईकोपर्यटन विकास बोर्ड को अनुदान, तथा वनोपज परिवहन हेतु ट्रकों का क्रय किया गया है। इस योजना में 2005–06 से 2008–09 तक प्रति वर्ष रूपये 23 करोड़ के आबंटन के विरूद्ध क्रमशः रूपये 2221.29 लाख, 2194.63 लाख, 2280.55 लाख, तथा 2249.17 लाख की राशि व्यय की गई।

3.1.13 ओंकारेश्वर निधि से व्यय

वर्ष 2007–08 से प्रारम्भ यह योजना खंडवा, खरगौन, बड़वानी, बड़वाह, झाबुआ, देवास, धार और हरदा वनमंडलों में संचालित की जा रही है। योजनांतर्गत नर्मदा जलग्रहण क्षेत्रों में रोपण और पुनरूत्पादन कार्य लिए जा रहे हैं। विगत वर्षो में आबंटन और व्यय का विवरण निम्नानुसार है –

(क्षेत्रफल हेक्टेयर में; राशि लाख रूपये में)

वर्ष	भौतिक लक्ष्य	भौतिक उपलब्धि	आर्थिक लक्ष्य	आर्थिक उपलब्धि
2007–08	क्षेत्र तैयारीः 3,885	क्षेत्र तैयारीः 3,885	500.00	469.12
2008–09	रोपणः 3,885 क्षेत्र तैयारीः 910	रोपणः 3,885 क्षेत्र तैयारीः 910	500.00	476.34

3.2 केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं

3.2.1 राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्यों का विकास

इस योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्यों में वन्यप्राणियों संरक्षण हेतु अधोसंरचना विकास के कार्य, जैसे जल स्रोतों का विकास, लेन्टाना उन्मूलन, पशु अवरोधक दीवार, संचार साधन, सड़क व भवन निर्माण, जनहानि तथा पशुहानि की क्षतिपूर्ति, प्रचार प्रसार इत्यादि कार्य लिए जाते हैं। योजना में आवर्ती व्यय का 50 प्रतिशत तथा अनावर्ती व्यय का 100 प्रतिशत केन्द्र शासन से प्राप्त होता है। आवर्ती व्यय की शेष राशि राज्य शासन वहन करता है। विगत वर्षो में स्वीकृत राशि एवं आर्थिक उपलब्धि का विवरण निम्नानुसार है –

(राशि लाख रूपये में)

वर्ष	आर्थिक लक्ष्य	आर्थिक उपलब्धि
2005–06	620.78	450.25
2006–07	621.85	580.34
2007–08	1182.01	981.87
2008–09	1187.51	854.68

3.2.2 प्रोजेक्ट टाइगर

इस योजना के अंतर्गत राज्य के छः बाघ परियोजना क्षेत्रों में वन्यप्राणी का रहवास सुधार और संरक्षण तथा अधोसंरचना सुदृढ़ीकरण किया जाता है। योजना में आवर्ती व्यय का 50 प्रतिशत तथा अनावर्ती व्यय का 100 प्रतिशत केन्द्र शासन से प्राप्त होता है। आवर्ती व्यय की शेष राशि राज्य शासन वहन करता है। विगत वर्षो में स्वीकृति राशि तथा उपलब्धि का विवरण इस प्रकार है –

(राशि लाख रूपये में)

वर्ष	आर्थिक लक्ष्य	आर्थिक उपलब्धि
2005–06	1048.71	1045.47
2006–07	1152.94	922.57
2007–08	1681.55	3359.51
2008–09	5999.60	5855.85

3.2.3 केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के माध्यम से वन्य प्राणी विकास

इस योजना अंतर्गत केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण व्दारा वन विहार राष्ट्रीय उद्यान हेतु सहायता दी जाती है। योजना में आवर्ती व्यय का 50 प्रतिशत तथा अनावर्ती व्यय का 100 प्रतिशत केन्द्र शासन से प्राप्त होता है। आवर्ती व्यय की शेष राशि राज्य शासन वहन करता है। विगत वर्षो में इस योजना में किये गये व्यय का विवरण इस प्रकार है:–

(राशि लाख रूपये में)

वर्ष	आर्थिक लक्ष्य	आर्थिक उपलब्धि
2005–06	88.00	5.47
2006–07	93.00	131.74
2007–08	38.50	8.32
2008–09	38.50	30.99

3.2.4 वनों में आधुनिक अग्नि सुरक्षा योजना

अग्नि के प्रकोप से प्राकृतिक वनों, वृक्षारोपणों के स्वास्थ्य एवं पुनरूत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अतः वानिकी कार्यों में अग्नि सुरक्षा कार्य को प्राथमिकता दी जाती है। यह योजना वर्ष 2004–05 से प्रारम्भ हुई है। कार्य आयोजना के प्रावधानों के अनुरूप समस्त वनक्षेत्रों में अग्नि सुरक्षा कार्य प्रति वर्ष माह फरवरी से जून के मध्य कराये जाते हैं। इन कार्यों में मुख्यतया अग्नि पंक्ति (फायर लाईन) का जलाना, रखरखाव एवं वन क्षेत्र की चौकीदारों द्वारा सुरक्षा सम्मिलित हैं। इस योजना के अन्तर्गत वनों को अग्नि की क्षति से बचाव हेतु आधुनिक उपकरण जैसे वायरलेस एवं वाहनों की खरीदी की जाकर वनों की सुरक्षा की जाती है। विगत वर्षों में इस योजना में प्राप्त आर्थिक लक्ष्य के विरूद्व उपलब्धि निम्नानुसार रही है –

(राशि लाख रूपये में)

वर्ष	आर्थिक लक्ष्य	आर्थिक उपलब्धि
2005–06	507.40	109.23
2006–07	849.00	446.25
2007–08	600.00	729.04
2008–09	1059.00	445.37*

* राज्यांश की राशि रूपये 153.18 लाख समर्पित की गई तथा केन्द्रांश की अवशेष राशि रूपये 460.22 लाख के रीवैलिडेशन हेतु केन्द्र शासन से कार्यवाही प्रचलित है।

3.3 केन्द्र क्षेत्रीय योजनाएं

3.3.1 राष्ट्रीय जल तंत्र संरक्षण कार्यक्रम

इस योजना के अंतर्गत प्रदेश में स्थित माधव राष्ट्रीय उद्यान, शिवपुरी एवं रातापानी अभ्यारण्य, औबेदुल्लागंज में स्थित झीलों के संरक्षण का कार्य किया जा रहा है। योजना 2006–07 से प्रारम्भ की गई है। विगत तीन वर्षों की आर्थिक उपलब्धि निम्नानुसार है –

(राशि लाख रूपये में)

वर्ष	आर्थिक लक्ष्य	आर्थिक उपलब्धि
2006–07	30.00	29.80
2007–08	34.25	38.76
2008–09	37.50	19.72

3.4 विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं

विश्व बैंक द्वारा पोषित परियोजना **'जापान सोशल डेवलपमेंट फंड ग्रांट फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर कम्युनिटी फॉरेस्ट मैनेजमेंट' (जे.एस.डी.एफ.)** का विभाग द्वारा 2005–06 से 2008–09 तक क्रियान्वयन किया गया। इस पायलट परियोजना का मुख्य उद्देश्य वन समितियों को वित्तीय तथा वानिकी कार्यो से संबंधित तकनीकी विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान करना तथा लघु मध्यम उद्यम संचालित करने हेतु हुनर प्रदाय करना था। इसके अंतर्गत सामुदायिक वन प्रबंधन को सुदृढ़ करने तथा चयनित वन समितियों को लघु मध्यम उद्यम संचालित करने के लिये सहायता का लक्ष्य प्राप्त किया गया। रोजगार मूलक योजनाओं हेतु अन्तर्विभागीय समन्वय किस प्रकार स्थापित हो, इसके लिए अनुभव प्राप्त करना भी परियोजना का एक मुख्य घटक था।

यह परियोजना 12 जिलों (सिवनी, छिंदवाड़ा, बुरहानपुर, सीधी, छतरपुर, रायसेन, देवास, झाबुआ, मंडला, रतलाम, उज्जैन, एवं श्योपुर) में क्रियान्वित की गई। इसके तहत इन जिलों की 200 वन समितियों के लगभग 1100 सदस्यों, सचिवों तथा गैर शासकीय संस्थाओं के प्रतिनिधियों और वन कर्मियों की स्पीयर हेड टीमों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के पश्चात इन प्रशिक्षणार्थियों ने समिति सदस्यों को स्थानीय स्तर पर इन्हीं विषयों में प्रशिक्षण दिया है। लगभग 10,000 समिति सदस्यों को प्रशिक्षण दिया गया तथा लगभग 1200 समिति सदस्यों को प्रदेश में तथा प्रदेश के बाहर भ्रमण कराया गया। परियोजना के अंतर्गत निम्नानुसार व्यय किया गया है।

वर्ष	राशि (लाख रूपयों में)
2005–06	29.51
2006–07	45.10
2007–08	210.99
2008–09	124.58
कुल योग	**410.18**

व्यय की गई राशि विश्व बैंक से अनुदान के रूप में भारत सरकार के माध्यम से प्राप्त हुई। योजनांतर्गत नियुक्त कंसलटेंट द्वारा महत्वपूर्ण सुझाव दिये गये हैं, जिनके आधार पर परियोजना के अन्य जिलों में प्रशिक्षण आयोजित किये जाएंगे। परियोजना जिलों की 75 वन समितियों हेतु लघु एवं मध्यम योजनाएं (बिजिनेस प्लान) कंसलटेंट के माध्यम से तैयार करायी गयी हैं, जिनका क्रियान्वयन प्रगति पर है।

– – – – –

भाग – चार

अभिनव योजनाएं

4.1 वन्य प्राणी संरक्षण की गतिविधियां

मध्यप्रदेश का कुल वनक्षेत्र 94,689 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत वर्ष के कुल वनक्षेत्र का लगभग 13 प्रतिशत है। प्रदेश में वन्यप्राणी संरक्षित क्षेत्र 10,895 वर्ग किलोमीटर है। प्रदेश में 9 राष्ट्रीय उद्यान एवं 25 वन्यप्राणी अभ्यारण्य हैं। कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना, पेंच, सतपुड़ा एवं संजय राष्ट्रीय उद्यान को टाईगर रिजर्व का दर्जा दिया गया है। करेरा एवं घाटीगांव अभ्यारण्य विलुप्तप्राय दुर्लभ पक्षी सोनचिड़िया के संरक्षण के लिये, सैलाना एवं सरदारपुर एक अन्य विलुप्तप्राय दुर्लभ पक्षी खरमोर के संरक्षण के लिये तथा 3 अभ्यारण्य (चम्बल, केन एवं सोनघड़ियाल) जलीय प्राणियों के संरक्षण के लिये गठित किये गये हैं।

भोपाल का वन विहार राष्ट्रीय उद्यान एक अनोखा राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे आधुनिक चिड़ियाघर के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। यह राष्ट्रीय उद्यान शहर के अंदर स्थित होकर वन्यप्राणी के संरक्षण के लिये जागरूकता लाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। डिंडोरी जिले में घुघवा में एक फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान भी है, जहां 6 करोड़ वर्ष पुराने वृक्षों के फॉसिल संरक्षित किये गये है।

अंतर्राष्ट्रीय तौर पर दुर्लभ एवं लुप्तप्राय प्रजातियों में से एक प्रजाति, बाघ मध्यप्रदेश में सबसे अधिक पाई जाती है। इसके अलावा नदी डाल्फिन, घड़ियाल, तेन्दुआ, गौर, बारासिंघा, काला हिरण, खरमोर और सोन चिड़िया प्रदेश की महत्वपूर्ण तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की दुर्लभ एवं विलुप्त प्राय प्रजातियां हैं।

वन्यप्राणियों के लिये संरक्षित क्षेत्रों के गठन से स्थानीय ग्रामवासियों को होने वाली कठिनाईयों को दूर करने के लिये इनसे लगे क्षेत्रों में ईको विकास के कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। जिन क्षेत्रों में नीलगाय तथा जंगली सुअर फसलों को हानि पहुंचाते हैं, वहां इनके शिकार की अनुमति देने का प्रावधान किया गया है।

म.प्र. शासन द्वारा वन्यप्राणी संरक्षण को प्राथमिकता दी गई है। वन्यप्राणी संरक्षण हेतु केन्द्र शासन से विभिन्न केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के अंतर्गत अनुदान प्राप्त होता है, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है –

आयोजना मद 2008–09 के आबंटन एवं व्यय (राशि रूपये लाख में)

बजट मद	आवंटन			व्यय		
	केन्द्रांश	राज्यांश	योग	केन्द्रांश	राज्यांश	योग
10–2406 1594) प्रोजेक्ट टाईगर	6623.27	322.39	6945.66	4909.03	284.94	5193.97
41–2406 (3730) प्रोजेक्ट टाईगर	478.21	227.14	705.35	455.40	206.38	661.78
10–2406 (6539) रा.उ. एवं अभ्यारण्यों का विकास	764.44	199.12	963.56	613.59	191.72	805.31
10–2406 (6540) केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के माध्यम से वन्यप्राणी विकास	83.99	30.85	114.84	37.02	30.99	68.01
10–2406 (6733) राष्ट्रीय जल तंत्र संरक्षण कार्यक्रम	21.80	0.00	21.80	19.72	–	19.72

आयोजनेत्तर मद में राज्य शासन से वर्ष 2008–09 में प्राप्त आबंटन और व्यय की जानकारी निम्नानुसार है –

(राशि लाख रूपये में)

बजट मद	आबंटन	व्यय
2899 राष्ट्रीय उद्यान	1555.00	1591.00
2900 अभ्यारण्य क्षेत्र	685.00	508.00
3897 वन्यप्राणी कक्ष की स्थापना	194.00	181.00

4.1.1 सिंह पुनर्वास कार्यक्रम

एशियाई सिंहों के पुनर्वास हेतु केन्द्र सरकार की पहल पर कूनो पालपुर अभ्यारण्य से ग्रामीणों की सहमति से 24 ग्रामों के 1545 परिवारों को पुनर्वासित किया जा चुका है। इसके लिये भारत सरकार से अभी तक रूपये 15.45 करोड़ की राशि विमुक्त की गई है। पुनर्वासित ग्रामीणों की अचल संपत्ति के आकलन उपरान्त मुआवजे की राशि रूपये 4.71 करोड़ राज्य बजट से विभाग द्वारा कलेक्टर को उपलब्ध करा दी गई है तथा रहवास सुधार तथा 'प्रे–बेस' विकास हेतु कार्य लिये गए हैं। गुजरात सरकार द्वारा सिंह देने से मना करने पर केन्द्र शासन द्वारा देश के अन्य चिड़ियाघरों से एशियाई लाने की अनुमति दी गई है।

4.1.2 वन्यप्राणी संरक्षण की अन्य गतिविधियां

संरक्षित क्षेत्रों में सुविधाओं के विकास के फलस्वरूप पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हुई है। पर्यटकों की संख्या 2005–06 में लगभग 7 लाख तथा 2007–08 में 8 लाख से अधिक रही तथा इस गतिविधि से 2005–06 में रूपये 516.50 लाख तथा 2007–08 में रूपये 880.17 लाख की आय हुई। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना, तथा पेंच राष्ट्रीय उद्यानों में ऑन लाईन बुकिंग प्रारंभ किया गया है।

वन्यप्राणियों के स्वास्थ्य की निगरानी तथा फोरेंसिक सुविधा हेतु कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर के समन्वय से 'वाईल्ड लाईफ डिजीज डायग्नोस्टिक एण्ड हेल्थ मॉनिटरिंग सेल' की स्थापना की गई है। इस केन्द्र के विकास के प्रारंभिक कार्य के लिये रूपये 50.00 लाख की राशि दी गई है।

भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय वन्यप्राणी अपराध अन्वेषण ब्यूरो का क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर में खोला गया है, जिसका कार्यक्षेत्र मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखण्ड और उड़ीसा है। इस कार्यालय से अंतर्राज्यीय और अन्तर्राष्ट्रीय शिकारियों के मामलों में रोकथाम में मध्यप्रदेश को विशेष लाभ मिलेगा। वन्यप्राणी अपराध रोकने के लिये राज्य में टाईगर स्ट्राईक फोर्स का गठन भी किया गया, जिसके पांच रीजनल सेंटर इन्दौर, सागर, इटारसी, जबलपुर, और सतना में स्थित हैं। वनों के समीपस्थ ग्रामों और शहरों में भटककर आये वन्यप्राणियों को पकड़ने के लिए राज्य में नौ रेस्क्यू स्क्वाड गठित किए गए हैं।

4.1.3 वन्यप्राणी गणना

भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून के सहयोग से 2006 में शेरों की संख्या और उनके रहवास का मूल्यांकन किया गया। प्रदेश के 94,689 वर्ग किमी. वन क्षेत्र में से 15,614 वर्ग किमी. क्षेत्र में शेरों की तथा

34,736 वर्ग किमी. क्षेत्र में तथा तेन्दुये की उपस्थिति प्रमाणित हुई है। मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या 236 से 364 के बीच (औसत 300) आंकी गई है।

4.1.4 मानव तथा वन्यप्राणियों के बीच द्वंद कम करने के प्रयास

अ. फसल हानि का मुआवजा: वन सीमा से पांच किमी. की परिधि में स्थित ग्रामों में वन्य प्राणियों द्वारा फसल हानि किए जाने पर संबंधित व्यक्तियों को फसल हानि का मुआवजा दिये जाने का निर्णय राज्य शासन द्वारा लिया गया है। मुआवजे का निर्धारण राजस्व अधिकारियों द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार किया जायेगा तथा मुआवजे का भुगतान वन मंडलाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

ब. पशु हानि, जनहानि और जन घायल होने पर दिया जाने वाला मुआवजा: वन्यप्राणियों द्वारा पालतू पशुओं को मारे जाने तथा जनहानि और जनघायल प्रकरणों में प्रभावित व्यक्ति अथवा परिवार को दिया जाने वाला मुआवजा राज्य शासन द्वारा दुगना कर दिया गया है। अब जनहानि के प्रकरणों में एक लाख रूपये तथा ईलाज पर किया गया संपूर्ण व्यय मृतक के उत्तराधिकारी को दिया जाएगा। स्थाई अपंगता होने पर रूपये 75,000 दिए जाएंगे और वन्यप्राणी द्वारा घायल किए गए व्यक्ति के ईलाज पर रूपये 20,000 तक की राशि की प्रतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है।

4.1.5 संरक्षित क्षेत्रों में बसे ग्रामों में गैर वानिकी कार्यों की अनुमति

संरक्षित क्षेत्रों में बसे ग्रामों में गैर वानिकी कार्यों पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई रोक के कारण इन ग्रामों में विकास कार्य अवरूद्ध थे। विभाग द्वारा इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की गई। विभाग के प्रयासों से माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 14.9.07 को अंतरिम आदेश पारित कर संरक्षित क्षेत्रों में छोटे सामुदायिक विकास कार्य करने पर लगी रोक हटा दी गई है। अब राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य के अंदर बसे ग्रामों के लिये शाला भवन, औषधालय, आंगनबाड़ी, पेय जल के लिए 4 इंच भूमिगत पाईप लाईन, हैण्डपंप, कुंआ, छोटे तालाब, टेलीफोन अथवा ऑप्टिकल फाइबर लाईन, 11 के.व्ही. बिजली लाईन के निर्माण के लिये वन अधिनियमों के अंतर्गत माननीय सर्वोच्च न्यायालय की अनुमति आवश्यक नहीं होगी, किंतु वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, भारतीय वन अधिनियम, तथा वन (संरक्षण) अधिनियम के अंतर्गत यथास्थिति अनुमति लेनी होगी।

4.1.6 वन्यप्राणी संवर्द्धन हेतु नई योजनाएं

अ. खरमोर एवं सोनचिड़िया संरक्षण पुरस्कार योजना: 2005 में प्रारम्भ की गई यह खरमोर के मामले में सफल सिद्ध हुई है। योजना के अंतर्गत यदि नर खरमोर की किसी किसान के खेत या घास बीड़ में जुलाई महीने में होने की सूचना दी जाती है तो रूपये 1,000 तथा यदि सितम्बर–अक्टूबर तक रहने की सूचना पुनः मिलती है तो रूपये 4,000 दिये जाते हैं। इस योजना की सफलता के कारण रतलाम, धार, झाबुआ, नीमच, मन्दसौर जिले में इस पक्षी की सूचनायें प्राप्त हुई है। योजनांतर्गत वर्ष 2005–06, 2006–07 तथा 2007–08 में क्रमशः 92,000 रूपये, 48,000 रूपये, तथा 26,000 रूपये ईनाम की राशि वितरित की

गई। सोनचिड़िया के संरक्षण के लिये सोनचिड़िया के अंडों की सूचना तथा अंडों को हैचिंग तक सुरक्षित रखने तक सूचनादाता को 10,000 रूपये का पुरस्कार देने का प्रावधान है। लेकिन सोनचिड़िया के मामले में विशेष लाभ होने की जानकारी नहीं है तथा विभाग द्वारा विशेषज्ञों से इस विषय में विचार विमर्श किया जा रहा है।

ब. बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में गौर की पुनर्स्थापनाः बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में गौर प्रजाति को पुनः स्थापित करने की योजना तैयार की गई है, जिसके अंतर्गत कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से 15 से 20 गौर का झुण्ड बांधवगढ़ लाकर पुनः स्थापित किया जायेगा। योजना की सैद्धांतिक स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन द्वारा दिनांक 17.5.2007 को जारी की जा चुकी है तथा भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा भी दिनांक 19.09.2007 को अनुमति दे दी गई है। पुनर्स्थापन हेतु आवश्यक अधोसंरचना विकास के लिये तैयार की गई योजना पर कार्यवाही प्रचलित है।

स. पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में बाघिन की पुनर्स्थापनाः पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में दो बाघिनों के पुनर्स्थापना की योजना पर राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण, नई दिल्ली की अनुमति के उपरान्त बाघिनों को पन्ना टाईगर रिजर्व स्थानांतरित किया गया। यह योजना राष्ट्रीय उद्यान में बाघों के लिंग अनुपात में सुधार के लिये भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून तथा अन्य वन्यप्राणी विशेषज्ञों के पर्यवेक्षण में संचालित की जा रही है।

द. चम्बल अभ्यारण्य में घड़ियालों की अप्रत्याशित मृत्युः चम्बल अभ्यारण्य में दिसम्बर 2007 से फरवरी 2008 के मध्य घड़ियालों की अप्रत्याशित मृत्यु हुई है। मध्य प्रदेश के क्षेत्र में 35 घड़ियालों की और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में 75 घड़ियालों की मृत्यु हुई। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए केन्द्र शासन द्वारा एक 'घड़ियाल आपदा प्रबंधन समिति' का गठन इटावा (उ.प्र.) में किया गया है। प्रख्यात पशु चिकित्सकों द्वारा किए गए परीक्षण के अनुसार संभवतः घड़ियालों की किडनी क्षतिग्रस्त होने से उनकी मृत्यु हुई। घड़ियालों की बड़ी संख्या में मृत्यु का सुस्पष्ट कारण अभी तक सामने नहीं आया है तथा घड़ियाल आपदा प्रबंधन समिति द्वारा स्थिति का अध्ययन किया जा रहा है।

4.2 वन संरक्षण की गतिविधियां

वन सुरक्षा हेतु विभाग व्दारा की गई अतिरिक्त व्यवस्था निम्नानुसार है –

- अति संवेदनशील वनक्षेत्रों में बीट व्यवस्था के स्थान पर सामूहिक गश्त हेतु वन चौकियों की स्थापना गई है। अबतक 336 वन चौकियां स्थापित की गई हैं तथा वनोपज परिवहन की सतत जांच हेतु 125 बैरियरों का सुदृढ़ीकरण भी किया गया है। अति संवेदनशील क्षेत्रों की वन चौकियो पर गश्ती दलों के लिए 12 बोर की 2,500 बंदूकें प्रदाय की गई हैं। साथ ही 4,500 वायरलेस सेटों, 5,000 मोबाइल तथा पी.डी.ए. का नेटवर्क स्थापित कर संचार प्रणाली को आधुनिक बनाया गया है।
- प्रत्येक वृत्त में उड़नदस्ता कार्यरत है तथा विशेष सशस्त्र बल की दो कम्पनियां भी तैनात हैं जो उड़नदस्ता दलों को नियमित सहयोग देती हैं।
- वन सुरक्षा में लगे वन कर्मचारियों को सी.आर.पी.सी. की धारा 197 (2) के अंतर्गत सुरक्षा प्रदान की गई है, ताकि बन्दूकों को उपयोग करने की आवश्यकता होने पर उन्हें वैधानिक कठिनाईयां न हों। वन सुरक्षा के लिए गोपनीय सूचनाएं एकत्र करने के लिए मुखबिर तंत्र के विकास हेतु सूचना देने वाले व्यक्तियों को पारितोषिक दिये जाने की व्यवस्था है, जिसके लिये गुप्त निधि बनाई गई है। साथ ही, वन अपराधियों के विरूद्व कार्यवाही करने के लिये वन अधिनियमों तथा उनके अंतर्गत बनाये गये नियमों में कड़ी दंडनीय कार्यवाही के प्रावधान किये गये हैं।
- वन सुरक्षा के अनुश्रवण हेतु इन्टरनेट आधारित वन अपराध प्रबंधन प्रणाली (एफ.ओ.एम.एस.) तथा अग्नि सूचना प्रसार प्रणाली (फायर एलर्ट मेसेज सिस्टम) साफ्टवेयर का विकास किया गया है।

4.3 काष्ठागारों का मानकीकरण

राज्य में वनोपज की उत्पादन क्षमता व गुणवत्ता में वृद्धि हेतु अथक प्रयास किये जा रहे हैं। इमारती लकड़ी के चिन्हांकन, लॉगिंग, वर्गीकरण प्रबंधन में नवीन तकनीक के उपयोग का प्रयास किया जा रहा है। इन्हीं प्रयासों के फलस्वरूप निम्नांकित काष्ठागारों को आई.एस.ओ. 9001:2000 मानक प्रमाणीकरण उपलब्ध हुआ है –

कालपी तथा गाड़ासरई (जिला मंडला), ताकू (जिला होशंगाबाद), आशापुर (जिला खंडवा), सिझौरा (जिला डिंडोरी), गैरतपुर (जिला रायसेन), चन्दकेशर (जिला देवास), उमरिया (जिला उमरिया), आमला (जिला छिंदवाड़ा) तथा टिमरनी और खिरकिया (जिला हरदा)।

4.4 अनुसंधान एवं विस्तार

वनों की उत्पादकता बढ़ाने, सामुदायिक तथा निजी भूमि पर वनीकरण को प्रोत्साहित करने, और वनोपज की बढ़ती हुई जरूरतों को पूरा करने के मूल उद्देश्य से प्रदेश के 11 कृषि जलवायु प्रक्षेत्रों में एक–एक

अनुसंधान एवं विस्तार केन्द्र स्थापित किये गये हैं। इन केन्द्रों द्वारा 106 उच्च तकनीकी रोपणियां लगाई गई हैं जिनमें सागौन, बांस, आंवला, महुआ, चिरोंजी, फलदार व औषधीय तथा अन्य प्रजातियों के पौधे तैयार किये जाते हैं। इस क्षेत्र में विशेष उपलब्धियां निम्नानुसार हैं –

4.4.1 उच्च गुणवत्ता के पौधों की तैयारी

विभागीय रोपणियों में वर्ष 2008 में 35.93 लाख सागौन, 66.64 लाख आंवला, 10.10 लाख ग्राफ्टेड आंवला, 89.08 लाख बांस, 425.19 लाख बांस राईजोम, 4.19 लाख कटंग बांस, 64.48 लाख फलदार तथा 124.84 लाख अन्य प्रजातियों के, इस प्रकार 8 करोड़ पौधे प्रदाय हेतु उपलब्ध थे। इन केन्द्रों द्वारा विभिन्न प्रजातियों के लगभग 1158 क्विंटल उच्च गुणवत्ता के बीज भी एकत्रित किए गए। हरियाली महोत्सव 2008 के लिए इन रोपणियों से 2.81 करोड़ पौधे जिला पंचायतों, संस्थानों तथा निजी व्यक्तियों को सशुल्क प्रदाय किये गए।

4.4.2 लघु वनोपज संघ द्वारा स्वीकृत औषधीय रोपण योजना

मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ, भोपाल द्वारा निम्न औषधीय रोपण योजनाएं स्वीकृत की गई हैं –

स्थल	योजना राशि (लाख रूपये)	विवरण
1. अमरावद (रायसेन)	40.90	योजना अवधि 2006–07 से 2010–2011; कालमेघ, अश्वगंधा, आंवला, रतनजोत का रोपण; 2008–09 तक व्यय रूपये 24.76 लाख।
2. बम्हनदेवी (सिवनी)	7.20	योजना अवधि 2007–08 से 2008–09; चंदन के 40,000 तथा बेल के 80,000 पौधे तैयार; योजना पूर्ण।
3. कक्ष क्र. 471 (खंडवा)	1.70	35 हे. में 5 वर्ष तक रतनजोत बीज रोपण एवं रखरखाव; 2008–09 तक 35 हे. में बीज बुवाई पूर्ण; व्यय रू. 1.00 लाख।
4. चनौला (सागर)	3.61	योजना अवधि 2007–08 से 2008–09; बिगड़े वनों का सुधार कार्यवृत्त के अंतर्गत रतनजोत बीज बुवाई; 55 हे. क्षेत्र तैयारी पूर्ण; व्यय रू. 0.62 लाख।
5. हर्बल गार्डन (ग्वालियर एवं शिवपुरी जिले)	2.00	कार्य प्रगति पर।

4.4.3 जैव विविधता बोर्ड द्वारा स्वीकृत योजना

मध्यप्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड द्वारा दुर्लभ, संकटापन्न व संकटग्रस्त प्रजातियों (जैसे जटायन, बिजहरा, जटराहरा, सतावर, ईश्वर मूल, लाल सुघची आदि) की तीन रोपणियां विकसित करने हेतु रूपये

5.30 लाख की राशि विमुक्त की गई। योजना में अब तक रूपये 3.42 लाख व्यय हुआ है। तैयार पौधों का विक्रय किया जाएगा तथा इनके विस्तार हेतु विक्रय से प्राप्त राशि का ही उपयोग किया जाएगा।

4.4.4 राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड द्वारा स्वीकृत योजना

राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड, भारत सरकार द्वारा औषधि प्रजातियों के रोपण की निम्न योजनाएं स्वीकृत की गई हैं –

- आंवला रोपण (रतलाम) के लिये वर्ष 2007–08 में रूपये 10.00 लाख स्वीकृत; 2008–09 तक राशि का उपयोग पूर्ण।
- औषधीय रोपणी (सागर) हेतु योजना अवधि 2007–08 से 2009–10 में रूपये 30.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई। 2008–09 तक व्यय रूपये 12.00 लाख।
- धार में औषधीय पौध तैयारी के लिये 3 वर्ष अवधि की राशि रूपये 30.00 लाख स्वीकृत। 10.00 लाख औषधीय पौधे तैयार करने का लक्ष्य। रू. 4.00 लाख का व्यय पूर्ण।

उपरोक्त के अतिरिक्त ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीच्यूट, जबलपुर द्वारा जबलपुर में वन विज्ञान केन्द्र की स्थापना हेतु रूपये 3.00 लाख की स्वीकृति दी गई है, जहां प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। राष्ट्रीय तिलहन एवं वनस्पति तेल विकास बोर्ड द्वारा 2006–07 में शाजापुर एवं मंदसौर जिलों में 100 हेक्टेयर क्षेत्र में रतनजोत वृक्षारोपण हेतु रूपये 25.00 लाख स्वीकृत किये गये। 2007–08 में भौतिक एवं आर्थिक लक्ष्य पूर्ण करते हुए 2.50 लाख रतनजोत पौधे तैयार किए गए।

4.4.5 विस्तार कार्य

गैर वन क्षेत्रों में वन आवरण विस्तार हेतु सतत रूप से वानिकी विस्तार कार्यक्रम चलाये गए। प्रिंट मीडिया में वानिकी संदेश, विज्ञापन एवं अन्य प्रकाशन सामग्री के माध्यम से जन चेतना लाने का प्रयास किया गया। इलेक्ट्रानिक मीडिया में भी रेडियो, एफ0एम0 चैनलों आदि के माध्यम से रोचक परिचर्चाएं, ज्ञान वर्धक कार्यक्रम एवं संदेशो के माध्यम से वनीकरण बाबत जनता को प्रोत्साहित किया गया। दूरदर्शन चैनलों पर रोचक वानिकी कार्यक्रम, लघु वृत्तचित्र, नाटिकाएं, परिचर्चाएं आदि आयोजित किये गये।

विभिन्न वानिकी प्रजातियों पर पुस्तिकाएं जारी की गई हैं जिसमें उसके उत्पादन से लेकर प्रसंस्करण एवं विपणन तक हर पहलू से अवगत कराया गया है। अन्य परचे व लघु पुस्तिकाएं आदि प्रकाशित कर वितरित की गयीं। वानिकी की नई तकनीकों के बारे में जानकारी देने के लिए 2007–08 में 11 किसान सम्मेलन, 40 कार्यशालाएं और सात अध्ययन प्रवास आयोजित किए गए, जिनमें 4,172 व्यक्तियों द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किया गया।

4.4.6 लोक वानिकी

लोक वानिकी कार्यक्रम के अंतर्गत जुलाई 2008 तक 2664 प्रबंध योजनाएं वन मंडलाधिकारियों द्वारा तथा 31 प्रबंध योजनाएं भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गई हैं। लोक वानिकी कृषकों को वनोपज विदोहन उपरांत मार्च 2009 तक 1576 प्रकरणों में रूपये 26.97 करोड़ का भुगतान किया गया है। लोक वानिकी योजना प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए लोक वानिकी अधिनियम 2001 तथा लोक वानिकी नियम 2002 में संशोधन कर चार्टर्ड फॉरेस्टर की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है, तथा कृषक द्वारा नवीन प्रबंध योजना प्रस्तुत करने पर 30 दिन में निर्णय लिए जाने संबंधी संशोधन नियमों में किए गए हैं। योजना को लोकप्रिय बनाने के लिए लोकवानिकी के नियम एवं अधिनियम को सरल भाषा में अभिलेखित कर लोक वानिकी मैनुअल जारी किया गया, तथा लोक वानिकी के क्षेत्र में सफल कृषकों की पृष्ठभूमि को लेकर लोक वानिकी के सभी आयामों को दर्शाते हुए एक वृत्त चित्र का भी निर्माण किया गया है।

4.4.7 ग्रीनिंग इंडिया योजना

भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा ग्रीनिंग इंडिया योजना के अंतर्गत शासकीय, अर्द्धशासकीय तथा अशासकीय संगठनों को वृक्षारोपण, हाईटेक नर्सरी की स्थापना और वनीकरण बाबत जन जागृति अभियान हेतु अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। अशासकीय संस्थाओं द्वारा ली गई परियोजनाओं में विभाग द्वारा मात्र अनुश्रवण कार्य किया जाता है। 2006–07 में हाईटेक नर्सरी स्थापना के लिए रूपये 94.38 लाख प्राप्त हुए, तथा 2007–08 तक रूपये 22.15 लाख का व्यय हुआ। 2007–08 में पांच अनुसंधान विस्तार वृत्तों में हाईटेक नर्सरी स्थापना के लिए रूपये 47.00 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई है।

योजना के अंतर्गत 2007–08 में अशासकीय संस्थाओं के रूपये 157.56 लाख के प्रस्ताव भेजे गए थे, जिसके विरूद्ध रूपये 23.45 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई है।

4.5 वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का क्रियान्वयन

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत वनभूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा दी जाती है। विभिन्न संस्थाओं से अब तक 1053 प्रकरण प्राप्त हुए, जिनमें 673 प्रकरण स्वीकृत किए जा चुके हैं और 120 प्रकरण निरस्त हुए हैं। स्वीकृत 673 प्रकरणों में कुल 1,35,818 हेक्टेयर वन भूमि प्रत्यावर्तित की गई है। स्वीकृति से शेष रहे 260 प्रकरणों में से 156 प्रकरण अंतिम चरण स्वीकृति हेतु शेष हैं, जिनमें से 140 प्रकरण आवेदक विभाग एवं 16 प्रकरण भारत सरकार के पास लंबित हैं। शेष 104 प्रकरण प्रथम चरण स्वीकृति हेतु शेष हैं, जिनमें से 70 प्रकरण आवेदक विभाग, 27 प्रकरण भारत सरकार, एवं 6 प्रकरण विभाग स्तर पर लंबित हैं।

राज्य शासन द्वारा 25 अक्टूबर 1980 के पूर्व वन क्षेत्र में निर्मित कच्चे सड़क मार्गों के उन्नयन की अनुमति कुछ शर्तों के अधीन जारी करने हेतु समस्त क्षेत्रीय वनमंडलाधिकारी को अधिकार दिया गया है।

इन अधिकारों का उपयोग प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत मार्गों के उन्नयन हेतु किया जा रहा है। वनमंडल स्तर से 31.3.2009 तक 1560 प्रकरणों में स्वीकृति दी गई है।

इस क्षेत्र के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान निम्नानुसार हैं –

4.5.1 नेट प्रजेन्ट वैल्यू की राशि का निर्धारण

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेश दिनांक 28.3.2008 तथा 9.5.2008 के परिप्रेक्ष्य में, व्यपवर्तित होने वाली वन भूमि के वर्तमान शुद्ध मूल्य (एन.पी.व्ही. – नेट प्रेजेन्ट वैल्यू) की राशि का निर्धारण राज्य शासन के आदेश दिनांक 12.9.2008 द्वारा वनों के प्रकार व घनत्व के आधार पर किया जाता है। यह राशि आवेदक विभाग द्वारा देय होती है। वनों के प्रकार के आधार पर एन.पी.व्ही. की गणना खुले व रिक्त वनक्षेत्र के लिए रूपये 4.38 लाख से रूपये 7.30 लाख प्रति हेक्टेयर तथा सघन वन के लिए रूपये 6.26 लाख से रूपये 10.43 लाख प्रति हेक्टेयर की दर से की जाती है। राष्ट्रीय उद्यानों की भूमि के उपयोग के लिए एन.पी. व्ही. की दरें सामान्य दरों से 10 गुना तथा अभ्यारण्यों की भूमि के उपयोग के लिए सामान्य दरों से 5 गुना निर्धारित हैं। निर्धारित शर्तों के साथ कुछ विशेष प्रकरणों में (जैसे स्कूल, अस्पताल, खेल का मैदान (अव्यवसायिक), ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक भवन, ओवरहेड टैंक, ग्रामीण तालाब, पीने के पानी की 4'' व्यास की भूमिगत पाईप लाईन, ग्रामीण क्षेत्रों में 22 के.व्ही. विद्युत वितरण लाईन, 1980 के पूर्व के अतिक्रमणों का नियमितीकरण, वनग्राम का राजस्व ग्राम में परिवर्तन, भूमिगत उत्खनन, पवन ऊर्जा आदि) एन.पी.व्ही. से छूट प्रदान की गई है।

4.5.2 एक हेक्टेयर से कम वन भूमि का व्यपवर्तन

भारत सरकार द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अंतर्गत जनवरी 2005 से कुछ शर्तों के अधीन शासकीय विभागों के एक हेक्टेयर से कम वन भूमि के व्यपवर्तन की स्वीकृति के अधिकार राज्य शासन को प्रत्यायोजित किए गये थे। इस अधिकार के उपयोग की समय सीमा 31 दिसम्बर 2008 तक बढ़ाई गई थी। इसके अंतर्गत स्कूल, अस्पताल, विद्युत व संचार लाईनें, पेय जल की व्यवस्था, रेनवाटर हारवेस्टिंग, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, व्यावसायिक प्रशिक्षण केद्र, विद्युत सब स्टेशन, छोटी सिंचाई नहरें, संवेदनशीन क्षेत्रों में पुलिस स्थापना जैसे कि पुलिस स्टेशन, आउट पोस्ट, वाच टावर इत्यादि निर्माण लिए जा सकते हैं। वनाधिकार कानून के लागू होने के दिनांक से एक हेक्टेयर से कम वन भूमि का व्यपवर्तन अब वनाधिकार कानून के प्रावधानों के तहत किया जावेगा।

4.5.3 वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम के अंतर्गत वन भूमि का व्यपवर्तन

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत एक हेक्टेयर से कम वन भूमि के व्यपवर्तन का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत ग्रामसभा की अनुशंसा पर विकास कार्यों (जैसे स्कूल, अस्पताल, आंगनवाड़ी, उचित मूल्य की दूकानें, विद्युत एवं दूरसंचार लाईनें, लघु सिंचाई नहरें, जल या वर्षा जल संचयन संरचनाएं, अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत, सड़कें, टंकियां और अन्य लघु जलाशय, पेयजल और जल पाइप लाइनें, सामुदायिक केंद्र, कौशल उन्नयन और

व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र) के लिये व्यपवर्तन हेतु इस शर्त पर, कि प्रति हेक्टेयर 75 से अधिक वृक्ष नहीं काटे जाएंगे, स्वीकृति के अधिकार दिये गये हैं। स्वीकृति हेतु विस्तृत प्रक्रिया भारत सरकार के पत्र क्र. 23011/15/ 2008 एसजी 11 दिनांक 18 मई 2009 द्वारा जारी की गई है, तथा राज्य शासन द्वारा इस संबंध में निर्देश दिनांक 29.5.2009 को जारी किए गए हैं।

4.6 वन भू–अभिलेख

4.6.1 वनग्रामों का राजस्व ग्रामों में परिवर्तन

मध्य प्रदेश के 29 जिलों में 925 वन ग्राम हैं। इनमें से 15 वनग्राम वीरान और 17 वनग्राम विस्थापित हैं तथा 27 वनग्राम राष्ट्रीय उद्यानों में और 39 वनग्राम अभ्यारण्यों में स्थित हैं। भारत सरकार द्वारा वनग्रामों में कुल 19,955 पट्टों का नवीनीकरण 1992 से 15 वर्ष के लिए किया गया था। यह अवधि 2007 में समाप्त हो गई है। वनग्रामों के जिन ग्रामवासियों को पट्टे दिये गये हैं, यदि वे आज भी वनग्रामों में निवास कर रहे हैं तो उनके पट्टे आगामी आदेश तक यथावत लागू रहेंगे। इस संबंध में मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग के पत्र क्र. डी/2065/ 976/ 2007/10–3 दिनांक 2.4.2007 द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं।

वनग्राम को राजस्व ग्राम में परिवर्तन का प्रावधान अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 में किया गया है। वनग्रामों को राजस्व ग्राम में परिवर्तन हेतु शासन स्तर पर दिनांक 23.12.2008 की बैठक में निर्णय लिया गया कि वनग्रामों से उक्त अधिनियम के अन्तर्गत ग्रामसभा में दावा प्राप्त होने पर कार्यवाही आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा की जावेगी।

4.6.2 वन–राजस्व सीमाओं का सीमांकन

राज्य में वन एवं राजस्व विभाग द्वारा संयुक्त सीमांकन की कार्यवाही की जा रही है। मार्च 2009 की स्थिति में वन और राजस्व सीमा के विवाद वाले कुल 19,949 ग्रामों से 33 जिलों में कुल 19,579 (98%) ग्रामों में निराकरण किया जा चुका है। शेष 370 ग्राम, जहां निराकरण शेष है, 15 जिलों के अंतर्गत हैं।

4.6.3 अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006

अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के क्रियान्वयन हेतु आदिमजाति कल्याण विभाग को नोडल बनाया गया है। इस कार्य में वन विभाग सहयोगी विभाग है। विभाग द्वारा वनाधिकार समितियों को आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराने, दावेदारों के प्रकरणों का निराकरण होने तक उन्हें वन भूमि से बेदखल नहीं करने, तथा राजस्व विभाग द्वारा वन भूमि को राजस्व भूमि मानकर जो पट्टे दिये गये हैं, उन पट्टेधारियों को उनके अधिकारों का परीक्षण होने तक बेदखल नहीं करने के निर्देश जारी किए गए हैं।

4.7 सूचना प्रौद्योगिकी

4.7.1 सूचना प्रबंधन प्रणाली (एम.आई.एस.)

विभागीय गतिविधियों में कसावट, पारदर्शिता एवं दक्षता लाने के लिए समस्त सूचनाओं के संग्रहण, प्रबंधन एवं आवश्कयतानुसार रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए वेब आधारित सॉफ्टवेयर मोड्यूल तैयार किये जा रहे हैं। इसके लिए सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की अग्रणी संस्थाओं जैसे एन.आई.सी., मैप आई.टी., माइक्रोसॉफ्ट के साथ समन्वय कर कार्य किया जा रहा है। विभाग की गतिविधियों का अध्ययन किया जा चुका है, डिजाइन करने का कार्य प्रगति पर है। फॉरेस्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम एप्लीकेशन का निर्माण पूर्ण हो चुका है। इसकी अंतिम टेस्टिंग की जा रही हैं । फॉरेस्ट फायर मेसजिंग सिस्टम और फॉरेस्ट ऑफेंस मैनेजमेंट सिस्टम लागू हो चुका है। विभाग द्वारा स्वयं तैयार किए गए एप्लीकेशन विभागीय ई–टेलीफोन डायरेक्ट्री, टेंडर पब्लिकेशन तथा विभागीय सर्कुलर भी लांच किये जा रहे हैं। विभाग द्वारा भूमि सर्वेक्षण हेतु तैयार किए गए सर्वे एप्लीकेशन के माध्यम से आदिमजाति कल्याण विभाग द्वारा पी.डी.ए. की मदद से वनाधिकार अधिनियम के अंतर्गत दावा प्रस्तुत करने वाले आवेदकों की भूमि का सर्वेक्षण किया जा रहा है। भविष्य में विभाग द्वारा कई एप्लीकेशन खुद या एन.आई.सी. के सहयोग से बनाये जाने की योजना है, जिस पर कार्य चल रहा है।

4.7.2 भौगोलिक सूचना प्रणाली (जी.आई.एस.)

जी.आई.एस. के माध्यम से नक्शों एवं उनसे जुड़े विभिन्न संकेतकों का प्रबंधन किया जाता है। पूर्व में कार्य आयोजना अधिकारियों के द्वारा वनमंडल के नक्शों का डिजिटाईजेशन कराया जा रहा था, जिसमें अधिक समय और संसाधन लगता था। विभाग और एन.आई.सी. के बीच हुए समझौते के उपरांत अब एक वर्ष में समस्त डिजिटाईजेशन कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया था, जो पूर्ण कर लिया गया है। नक्शों के डिजिटाईजेशन के बाद भूमि प्रबंधन, शस्य प्रबंधन तथा अपराध नियंत्रण में विभाग की दक्षता में अभूतपूर्व वृद्धि होगी।

4.7.3 संचार व्यवस्था

प्रभावी संचार व्यवस्था मैदानी अमले की क्षमता एवं बल में वृद्धि करता है। विद्यमान वायर लेस आधारित व्यवस्था पुरानी हो जाने एवं उसके संचालन में होने वाले व्यय तथा कठिनाईयों को देखते हुए वैकल्पिक संचार उपकरणों की जानकारी एकत्रित की गई है। इसके आधार पर सूचना प्रौद्योगिकी आधारित बहुआयामी उच्च तकनीकी पी.डी.ए. मैदानी अमले को उपलब्ध कराये जा रहे हैं। पी.डी.ए. उपकरण के संचालन, रख–रखाव एवं उनके आयाम जैसे टेलीफोन, जी.आई.एस. एवं जी.पी.एस. की विभाग में उपयोगिता एवं संचालन का प्रशिक्षण संबंधित अधिकारियों और क्षेत्रीय कर्मचारियों को दिया गया है।

4.7.4 एड्यूसैट एवं वीडियो कॉन्फरेंसिंग

वानिकी क्षेत्र के तेजी से बदलते परिदृश्य में उत्कृष्ट नतीजे देने के लिए संस्थागत क्षमता वृद्धि अत्यन्त आवश्यक है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान (इसरो) द्वारा संचालित एडुसेट उपग्रह के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों में पदस्थ कर्मचारियों और वन समिति सदस्यों को प्रशिक्षित करने के लिए 52 स्थानों पर सूचना एवं प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित कर भोपाल केन्द्र से आवश्यक विषय वस्तु उपलब्ध कराई गई। भोपाल केंद्र से एक साथ समस्त 52 केन्द्रों पर उपस्थित कर्मचारियों से सीधे संवाद स्थापित करना और उन्हें प्रशिक्षण देना संभव हुआ है। इन केंद्रों हेतु उपकरण इसरो द्वारा उपलब्ध कराया गया। विभाग द्वारा एन.आई.सी. के सहयोग से समस्त 16 वृत्तों को और भोपाल स्थित प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय को वीडियो कॉन्फरेंसिंग सेवा से जोड़ा गया है।

4.7.5 पी.डी.ए. का उपयोग

अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के क्रियान्वयन के लिए विभाग द्वारा सर्वेक्षण कार्य में महत्वपूर्ण तकनीकी सहयोग दिया जा रहा है। उक्त अधिनियम के अंतर्गत दावा प्रस्तुत करने वाले आवेदक की भूमि का सर्वेक्षण करने तथा डिजिटल नक्शे तैयार करने हेतु वन विभाग द्वारा सर्वे अप्लिकेिशन तैयार किया गया। इसके लिए आदिमजाति कल्याण विभाग को वन विभाग द्वारा पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट (पी.डी.ए.) उपलब्ध कराया गया और प्रत्येक जिले के तीन मास्टर ट्रेनर्स को इस कार्य के लिए प्रशिक्षण भी दिया गया। इस कार्य के लिए 'फॉरेस्ट ड्वेलर्स सर्वे' नाम का वेब अप्लिकेशन तैयार किया गया, जो कि संबंधित खसरे के नक्शे तथा आवेदक के फोटो के साथ सर्वेक्षण के परिणाम की अद्यतन स्थिति को ऑनलाईन दर्शाता है। इससे पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी तथा त्वरित बनाने में मदद मिली है।

4.8 मानव संसाधन विकास

4.8.1 सेवा में भरती उपरांत प्रशिक्षण

लगभग 600 सेवारत अप्रशिक्षित वनपालों को प्रदेश के वन विद्यालयों में 45 दिन का कौशल उन्नयन प्रशिक्षण 1.12.2008 से 31.03.2009 तक वन विद्यालय शिवपुरी, बैतूल, अमरकंटक, गोविन्दगढ़ (रीवा), एवं लखनादौन (सिवनी) में दिया गया है। प्रदेश के समस्त नौ वन विद्यालयों में नव–नियुक्त वन रक्षकों को 1. 10.2008 से 6 माह का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इन विद्यालयों में उपस्थिति संख्या निम्नानुसार है –

वन विद्यालय	पुरुष	महिला	योग
1. वन क्षेत्रपाल महाविद्यालय, बालाघाट	76	21	**100**
2. वन विद्यालय, बैतूल	54	46	**100**
3. वन विद्यालय, अमरकंटक	84	16	**100**

4. वन विद्यालय, शिवपुरी	54	42	**96**
5. राजीव गांधी सहभागी वानिकी प्रशिक्षण संस्थान, लखनादौन (सिवनी)	31	22	**53**
6. इंदिरा गांधी वन प्रशिक्षण शाला, पचमढ़ी	40	26	**66**
7. वन विद्यालय, गोविन्दगढ़ (रीवा)	46	21	**67**
8. वन विद्यालय, झाबुआ	39	13	**52**
9. जैव विविधता प्रशिक्षण केन्द्र, ताला (उमरिया)	31	4	**35**
योग	**455**	**211**	**669**

4.8.2 सेवारत अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण

अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों को विशिष्ट विषयों में दक्ष बनाने हेतु मार्च 2008 से प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया है। इस प्रशिक्षण में अब तक 810 कर्मचारियों को नामांकित किया गया था, जिनमें से 496 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त भारतीय वन सेवा, राज्य वन सेवा, तथा वन क्षेत्रपाल स्तर के सेवारत अधिकारियों को आर0सी0व्ही0पी0 नरोन्हा प्रशासन अकादमी, भोपाल में विभिन्न विषयों पर आयोजित अल्प अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भेजा जाता है। वर्ष 2008–09 में उद्यमिता विकास केन्द्र, म0प्र0 (सेडमेप) के द्वारा आयोजित प्रशिक्षण में मार्च 2009 तक 972 कर्मचारियों व अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। वर्ष 2008–09 में आदिमजाति संस्थान, आपदा प्रबंध संस्थान एवं लेखा प्रशिक्षण संस्थाओं में कुल 51 कर्मचारियों व अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया।

4.9 विश्व खाद्य कार्यक्रम

प्रदेश के वानिकी क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए, विशेष तौर से निम्न वर्गो, गर्भवती महिलाओं और बच्चों तथा ऐसे गरीब परिवारों के लिए, जिनकी जीविका वनों पर आधारित है, विश्व खाद्य कार्यक्रम की महत्वपूर्ण योजना क्रमांक 10107.0 एक्ट 3 चलाई जा रही थी, जो 31 मार्च 2008 को समाप्त हो चुकी है। पूर्व में प्रचलित योजना में संचित कल्याण निधि की राशि से निम्न कार्य लिए गए हैं –

(क) रपटा व पुलिया निर्माण 55, कुआं निर्माण 12, ट्यूबवेल 3, मार्ग निर्माण (9.7 कि.मी.), स्टॉप डैम 39, तालाब 3, सौर ऊर्जा विद्युतीकरण 46, गोदाम 2, वर्मी कम्पोस्ट 90, तथा अन्य लघु कार्य।

(ख) गैर शासकीय संगठनों के माध्यम से 7 जिलों की 480 समितियों के 4,800 सदस्यों को क्षमता वृद्धि प्रशिक्षण कार्य एवं 8 ग्राम पंचायतों में कुल 2,400 परिवारों को कुशल जल प्रबंधन के कार्य स्वीकृत किए गए।

4.10 आजीविका

वनों पर सर्वाधिक दबाव वन क्षेत्रों के समीप निवास करने वाले समुदायों की जरूरत का है। अतः उन्हें वैकल्पिक व्यवसाय मुहैया कराकर उनकी वनाधारित जरूरतें कम करके वनों की रक्षा का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है। आजीविका योजना के तहत इस ओर निरंतर प्रयास किये जा रहे है। वर्ष 2007–08

से वन क्षेत्रों के समीप निवासरत एवं आजीविका के लिए वनों पर निर्भर व्यक्तियों को आजीविका के वैकल्पिक संसाधन उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। क्षेत्रीय अधिकारियों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर इस योजना को आगामी वर्षों में भी संचालित किया जायेगा।

आजीविका के लिए 7 वृत्तों के 15 वनमंडलों से प्राप्त रूपये 168.42 लाख के प्रस्ताव स्वीकृत कर दिये गये हैं, जिसमें ग्रामीणों की क्षमता और पसंद के अनुरूप कार्य स्वीकृत किये गये हैं। स्वीकृत की गई राशि में प्रशिक्षण एवं पूंजीगत व्यय की राशि अनुदान के रुप में उपलब्ध कराई जा रही है तथा आवर्ती व्यय की आवश्यक राशि 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर उपलब्ध कराई जा रही है, जो परियोजना प्रारंभ होने के 6 माह बाद किश्तों में वसूल की जायेगी।

विभाग द्वारा वन सीमा से पांच किलोमीटर की परिधि में आने वाले लगभग 21 हजार ग्रामों में विभिन्न विकास विभागों की योजनाओं को केंद्रित किए जाने के प्रयास प्रारंभ किए गए हैं ताकि इन ग्रामों के निवासियों को वैकल्पिक रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकें। इससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा तथा उनकी वनों पर निर्भरता भी कम होगी जिससे वनों को भविष्य की पीढ़ियों के उपयोग हेतु संवहनीय भी बनाने में सहायता होगी। इसके लिए तैयार की जा रही विकास योजनाओं में कृषि, उद्यानिकी, मत्स्यपालन एवं पशुपालन की कल्याणकारी योजनाओं का समावेश कर वन वासियों के उत्थान के कार्य लिए जा रहे हैं।

ग्रामवासियों की जलाऊ लकड़ी पर निर्भरता में कमी लाने के लिए तथा साथ ही उनके जीवन स्तर में सुधार लाने की दृष्टि से उन्हें प्रेशर कुकर, कंबल, गैस कनेक्शन आदि सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

4.11 संयुक्त वन प्रबंधन

राष्ट्रीय वन नीति के अनुसरण में वन सुरक्षा और वन विकास के कार्यो में जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये वन विभाग ने संयुक्त वन प्रबंधन की अवधारणा को अंगीकार किया है। जन भागीदारी की अवधारणा को समावेशित करते हुए मध्यप्रदेश शासन द्वारा 22 अक्टूबर 2001 को संशोधित संकल्प पारित किया गया है।

महिला सशक्तिकरण

4.11.1 संयुक्त वन प्रबंध समितियों को लाभांश का वितरण

राज्य शासन के आदेश क्रमांक एफ–16/ 4/1991/ 10/2 दिनांक 11.02.2008 के अनुसार संयुक्त वन प्रबंधन समितियों को लाभांश का प्रदाय किया जाता है। इमारती लकडी के लाभ का 10 प्रतिशत एवं बांस के

लाभ का 20 प्रतिशत लाभांश का आकलन किया जा रहा है। किसी वर्ष में समिति हेतु परिगणित शुद्ध लाभ का 80 प्रतिशत उस समिति को वितरित किया जाता है, जिनके आबंटित वनक्षेत्र के पूर्ण अथवा आंशिक भाग में अंतिम पातन उक्त वर्ष में किया गया हो। अवशेष

20 प्रतिशत राज्य के समस्त जिलों की वन समितियों के प्रशिक्षण, प्रशिक्षण हेतु सुविधाओं का विकास आदि के लिए वन विभाग द्वारा व्यय किया जाता है। वर्ष 2004–05 में 11 जिलों में 15.59 करोड़ का लाभांश वितरण किया गया। 2005–06 एवं 2006–07 का 12 जिलों में रु 21.54 करोड़ का लाभांश वितरण किया गया। वर्ष 2007 –08 के लिये वन विभाग में तथा वर्ष 2006 –07 एवं 2007 –08 में मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम द्वारा 15 जिलों के लिये रूपये 27.06 करोड़ की राशि लाभांश के रूप में अर्जित की गई। प्राप्त आबंटन रूपये 20.00 करोड़ का वितरण वन समितियों को किया जा चुका है।

4.11.2 शहीद अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार

वन एवं वन्य प्राणी रक्षा एवं संवर्धन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली संस्था तथा व्यक्तियों को पुरस्कृत करने हेतु *शहीद अमृता देवी विश्नोई वन एवं वन्यप्राणी रक्षा पुरस्कार* की स्थापना की गई है। इसमें उत्कृष्ट संस्था को एक लाख रुपये, अशासकीय व्यक्ति को 50 हजार रुपये, और शासकीय अधिकारी या कर्मचारी को 50 हजार रुपये का पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता है। वर्ष 2007 हेतु संस्थागत श्रेणी में ग्राम वन समिति रूपाखेडा, झाबुआ वन मंण्डल को एक लाख रूपये, व्यक्तिगत (अशासकीय) श्रेणी में श्री वेद प्रकाश विश्नोई, व्यक्तिगत (शासकीय) श्रेणी में श्री सत्यपाल जैन, वन क्षेत्रपाल, मटकुली तथा श्री चद्रभान सिंह वनपाल, बांधवगढ़ टाईगर रिजर्व, उमरिया को पचास–पचास हजार रूपये के पुरस्कार दिए गए। इनके अतिरिक्त 11 संयुक्त वन प्रबंध समितियों एवं व्यक्तियों को सरराहनीय कार्य किये जाने पर प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया।

4.11.3 वन विकास अभिकरण

वन विकास अभिकरण, संयुक्त वन प्रबंध समितियों का शीर्ष संगठन है। इसके माध्यम से वन समितियों द्वारा मुख्य रूप से वृक्षारोपण का कार्य किया जाता है। इसके अतिरिक्त आस्थामूलक कार्य, सूक्ष्म प्रबंध योजना निर्माण, भू एवं जल संरक्षण कार्य, जागरूकता प्रशिक्षण इसके अन्य घटक हैं। अभिकरण के अध्यक्ष

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, क्षेत्रीय वन मण्डलाधिकारी होते हैं। प्रत्येक वन विकास अभिकरण की सामान्य सभा में जिले के विकास विभाग के प्रतिनिधि, जिलाध्यक्ष के प्रतिनिधि तथा संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के प्रतिनिधि उपस्थित रहते हैं।

वर्तमान में प्रदेश के 37 जिलों में 57 वन क्षेत्रीय वन मण्डलों के वन विकास अभिकरणों में 1693 संयुक्त वन प्रबंधन समितियां क्रियाशील हैं। 2008–09 में 34 वन विकास अभिकरणों में 16,434 हेक्टेयर क्षेत्र में 66.27 लाख पौधों का रोपण किया गया। 2009–10 में 17,942 हेक्टेयर क्षेत्र में रोपण हेतु क्षेत्र तैयारी प्रगति पर है। भारत शासन से 2008–09 में रूपये 22.54 करोड़ की राशि वन भूमि के उपचार हेतु प्राप्त हुई है।

4.12 वन ग्राम विकास योजना

प्रदेश के 867 वन ग्रामों में विकास कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है। कार्यक्रम के लिए रूपये 259.94 करोड़ की परियोजना विभिन्न चरणों में भारत शासन से स्वीकृत हुई है। 31 मार्च, 2009 की स्थिति में रूपये 202.21 करोड़ की राशि उपयोग में ली गई है, जिसके अंतर्गत वन ग्रामों में अधोसंरचना विकास कार्य जैसे जल संसाधनों का विकास (तालाब, ट्यूबवेल, हेण्डपंप, कुआं, स्टाप डेम निर्माण), सामुदायिक केन्द्र, आंगनवाड़ी, स्वास्थ्य केन्द्र, सड़क, रपटा पुलिया निर्माण एवं ऊर्जा के वैकल्पिक स्त्रोत उपलब्ध कराना आदि कार्य किये गए हैं।

कार्यों की गुणवत्ता बनाये रखने हेतु अनुश्रवण एवं मूल्यांकन का कार्य वन विकास अभिकरण के अध्यक्ष द्वारा प्रत्येक माह मुख्यालय स्तर पर गठित अनुश्रवण समिति द्वारा त्रैमासिक एवं राज्य शासन द्वारा अर्धवार्षिक अनुश्रवण करने की व्यवस्था की गई है। इन कार्यों का मूल्यांकन राज्य वन अनुसंधान संस्थान तथा भारतीय वन प्रबंध संस्थान द्वारा भी किया जा रहा है।

4.13 अन्य अभिनव योजनायें

4.13.1 ऊर्जा वन

जलाऊ लकड़ी की मांग एवं प्राकृतिक वनों से इसकी पूर्ति के बीच बड़ा अंतर है। वनों के समीप बसे ग्रामवासी अभी भी ऊर्जा की आपूर्ति हेतु मुख्यतः वनों पर ही निर्भर है। जिसके कारण गांवों से लगे वन क्षेत्रों पर भारी जैविक दबाव रहता हैं। इस समस्या के समाधान हेतु वर्ष 2007–08 से विभाग द्वारा ऊर्जा वन की स्थापना की अभिनव परियोजना प्रारंभ की गई है। इसके अंतर्गत वन क्षेत्रों से लगे गांवों के पास उपलब्ध भूमि पर तेजी से बढ़ने वाली तथा जलाऊ लकड़ी उत्पादक प्रजातियों का रोपण किये जाने का प्रावधान है। योजना में 1080 ग्रामों में 21,592 हेक्टेयर क्षेत्र में ऊर्जा वन की योजना प्रारंभ की जा चुकी है। वन विभाग

द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से ऊर्जा वन की योजना को अधिकाधिक ग्रामों में लिया जाकर ग्रामीण आबादी की जलाऊ लकड़ी और चारे की कमी की पूर्ति की जाएगी।

4.13.2 चारागाह विकास

वनों के समीप बसे ग्रामवासी पालतू मवेशियों को वनों मे चरने के लिए छोड़ देते हैं। चराई के इस बढ़ते दबाव को कम करने के लिए वनों के समीपवर्ती गांवों में उपलब्ध भूमि पर चारागाह विकास की योजना वर्ष 2007–08 में प्रारंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत पशुचारा की दृष्टि से उपयोगी प्रजातियों की बीज बुवाई की जाती है। यह योजना 495 ग्रामों के 11,849 हेक्टेयर क्षेत्र में प्रारंभ की जा चुकी है।

4.13.3 विद्या वन

राज्य के स्कूलों में पौधारोपण की एक अभिनव योजना विद्या वन वर्ष 2007–08 से प्रारंभ की गई है। इसका उद्देश्य चयनित स्कूल में फलदार और शोभादार प्रजातियों के न्यूनतम सौ पौधों का रोपण कर विद्यार्थियों में वृक्षों एवं पर्यावरण के प्रति लगाव पैदा करना है। वर्ष 2007–08 में 690 स्कूलों में 96,817 पौधे तथा वर्ष 2008–09 में 2,410 स्कूलों में 3,03,005 पौधे लगाए गये हैं।

4.13.4 माई सिटी ग्रीन सिटी

शहरी क्षेत्रों के सौंदर्यीकरण तथा पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से यह योजना वर्ष 2008–09 में प्रारंभ की गई। शहरी क्षेत्रों के नागरिक सामान्यतः पौधों की अनुपलब्धता के कारण इच्छा रहते हुए भी पौधरोपण नहीं कर पाते हैं। ऐसे नागरिकों को वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित करना इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। योजना के अंतर्गत निजी व्यक्तियों, संस्थाओं और आवासीय कालोनियों के कल्याण संगठनों आदि को उनकी मांग के अनुसार पौधे उनके घर–मोहल्ले तक पहुंचा कर देने और, यदि वे पौधे लगवाना चाहते हैं तो पौधे लगाने का खर्च उनसे लेते हुए पौधे लगाने की व्यवस्था की गई है। योजना के क्रियान्वयन के लिए व्यापक प्रचार प्रसार भी किया जाता है।

4.13.5 कूपों से जलाऊ लकड़ी स्वयं एकत्र कर बैलगाड़ियों से ले जाने की सुविधा

वन क्षेत्रों में स्थित कूपों से जलाऊ चट्टे वन सीमा से लगे गांवों में प्रदाय किये जाते थे। इस प्रथा में परिवर्तन करते हुये शासन द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि ईमारती लकड़ी की निकासी के बाद कूप का निर्धारित भाग ग्रामवासियो के लिये खोल दिया जाएगा, जहां से वे जलाऊ लकड़ी स्वयं एकत्र कर बैलगाड़ियों से ले जावेंगे। इससे उन्हें चट्टे बनवाई पर होने वाले व्यय की बचत होगी और घरेलू उपयोग के लिए उन्हें न्यूनतम व्यय से जलाऊ लकड़ी प्राप्त हो सकेगी।

4.14 विभाग को प्राप्त पुरस्कार एवं प्रशस्तियां

मध्य प्रदेश वन विभाग को वर्ष 2007 तथा 2008 में निम्न पुरस्कार प्राप्त हुए हैं –

1. 'बेस्ट आई.टी. अप्लिकेशन फॉर 2007–08' का पुरस्कार मध्य प्रदेश शासन की स्वायत्तशासी संस्था मैप–आई.टी. द्वारा प्रदान किया गया।

2. भारत सरकार का वर्ष 2008–09 का 'ई–गवर्नेंस अवार्ड' पुरस्कार (रजत) भारत सरकार, सूचना प्रौद्योगिकी तथा प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत मंत्रालय द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी के अभिनव प्रयोग के लिए फरवरी 2009 में गोवा में आयोजित बारहवें राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रदान किया गया।

3. वर्ष 2008 के लिए साइबर मीडिया ग्रुप के 'डेटा क्वेस्ट' द्वारा ई–गवर्नेंस अवार्ड अप्रैल 2009 में प्रदान किया गया।

उपरोक्त समस्त अवार्ड वनों में लगने वाली अग्नि की रिमोट सेंसिंग एवं जी.आई.एस. आधारित त्वरित सूचना एवं इसके प्रबंधन के लिए विकसित अप्लिकेशन 'फायर एलर्ट मेसेजिंग सिस्टम' के लिए प्रदान किये गए। इनके अतिरिक्त वन्य प्राणी संरक्षण के लिए निम्नानुसार पुरस्कार प्राप्त हुए हैं –

(क) भारत सरकार द्वारा वर्ष 2006 में किये गये मूल्यांकन के अनुसार भारतीय वन्यजीव संस्था एवं अन्तराष्ट्रीय संस्था आई0यू0सी0एन0 द्वारा किये गये मूल्यांकन के अनुसार कान्हा राष्ट्रीय उद्यान देश में प्रथम स्थान पर आया है।

(ख) बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान दो बार (2004 एवं 2006 में), पन्ना राष्ट्रीय उद्यान (2007 में), पेंच टाईगर रिजर्व को वर्ष 2008 में भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ टूरिस्ट फेंडली राष्ट्रीय उद्यान के रूप में पुरस्कृत किया गया है।

(ग) श्री असीम श्रीवास्तव, क्षेत्र संचालक, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को भारत सरकार द्वारा वन्यप्राणी संरक्षण के लिये वर्ष 2006 के 'राजीव गांधी पुरस्कार' से सम्मानित किया गया।

(घ) डॉ. एच.एस. नेगी, क्षेत्र संचालक, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान द्वारा वन्य प्राणी प्रबंधन में अभूतपूर्व योगदान हेतु भारत सरकार द्वारा वन्यप्राणी संरक्षण के लिये वर्ष 2005 के 'राजीव गांधी पुरस्कार' से सम्मानित किया गया।

(ड़) वन्यप्राणी सुरक्षा के लिये देश की अशासकीय संस्था ''ग्रीन गार्ड'' द्वारा कूनो अभ्यारण्य को सर्वोतम अभ्यारण्य के रूप में माना जाकर चौथा ग्रीन गार्ड पुरस्कार वर्ष 2008 में दिया गया है। यह पुरस्कार इस अभ्यारण्य को वन्यप्राणी की सुरक्षा करते हुये जान न्यौछावर करने वाले वनरक्षक स्वर्गीय श्री रामदयाल श्रीवास को मरणोपरांत दिया गया।

– – – – –

भाग – पांच

महिलाओं के लिए किए गए कार्य

वन विभाग की नीतियों व योजनाओं में महिलाओं को उपयुक्त स्थान दिया गया है। विभाग द्वारा राज्य की महिला नीति का पालन किया जा रहा है। नीति के अंतर्गत वन विभाग में प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय में नोडल अधिकारी के रूप में मुख्य वन संरक्षक स्तर के अधिकारी की नियुक्ति की गई है, तथा मुख्यालय में महिलाओं के लिए मध्यान्ह भोजन कक्ष की तथा अन्य मूलभूत सुविधाएं दी गई हैं।

कामकाजी महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकने के संबंध में कार्यालय में महिला अधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है तथा कार्यालय में विषय से संबंधित शिकायत पेटी स्थापित है।

राज्य की महिला नीति का पालन करते हुये महिलाओं की ईंधन संबंधी कठिनाईयों को कम करने के उद्देश्य से विभाग के सीमित संसाधनों से कार्य आयोजना के प्रावधान के अनुरूप जलाऊ लकड़ी का वृक्षारोपण किया जाता है। वर्ष 2008–09 में 2,345 हेक्टेयर में जलाऊ लकड़ी का वृक्षारोपण किया गया।

विभाग में वन रक्षाकों के पद पर भरती के लिए 10 प्रतिशत पद महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रखे गए हैं। विभाग में चल रहे क्षेत्रीय कार्यो के लिए श्रमिकों के नियोजन में भी महिलाओं को बिना किसी भेदभाव के पुरूषों के समान ही पारिश्रमिक दिया जाता है।

संयुक्त वन प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत भी महिलाओं को महत्व प्रदान किया गया है। प्रदेश में गठित संयुक्त वन प्रबंधन समितियों की कार्यकारिणी में 33 प्रतिशत महिलाओं की सदस्यता आरक्षित की गई है। इसके अतिरिक्त वन समितियों के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के पदों में से एक पद पर महिला की नियुक्ति अनिवार्य की गई है तथा प्रदेश की समस्त वन समितियों में से एक तिहाई समितियों में अध्यक्ष के पद महिलाओं के लिये आरक्षित किये गए हैं।

प्रदेश में लघु वनोपज का संग्रहण सहकारिता के माध्यम से किया जाता है। इसके अंतर्गत गठित प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों की कार्यकारिणी में कुल 15 सदस्यों में से 11 निर्वाचित प्रतिनिधि रहते हैं, जिसमें से दो महिला प्रतिनिधि का होना अनिवार्य किया गया है। जिला यूनियन की कार्यकारिणी समिति में कुल 16 सदस्य होते हैं, जिसमें से 10 निर्वाचित होते हैं। इनमें भी दो महिला सदस्यों का होना अनिवार्य किया गया है।

– – – – –

भाग – छः

सारांश

बढ़ती हुई आबादी और संसाधनों की मांग से वनों पर बढ़ते हुए दबाव के कारण वनों के संरक्षण तथा संर्वधन की दिशा में अनेकों चुनौतियां हैं। वनों के साथ–साथ वनों में पाये जाने वाले जीव–जन्तु और जैविक विविधिता को बनाये रखने की चुनौती भी वन विभाग के समक्ष है। शासन द्वारा इन चुनौतियों का सामना करने के लिए वन विभाग को आवश्यक वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराये जाते हैं। सीमित वित्तीय संसाधनों का उपयोग करते हुए वन विभाग जहां एक ओर प्रदेश के बहुमूल्य वनों को तथा वन्यप्राणी और जैव विविधिता को बनाये रखने में सफल रहा है, वहीं वनों पर आजीविका हेतु आश्रित ग्रामीणों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का भी भरपूर प्रयास किया है। सतत रूप से वनों का संरक्षण और संवर्धन करने तथा विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं के माध्यम से वनक्षेत्रों के समीप रहने वाले ग्रामीणों, मुख्यतः आदिवासियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में वन विभाग प्रयासरत है। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार की नई तकनीकों के उपयोग तथा संयुक्त वन प्रबंधन व्दारा वन एवं वानिकी को और अधिक उन्नत और जनोन्मुखी बनाया जा सके, यही विभाग की आकांक्षा है।

– – – – –

परिशिष्ट

मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम

राष्ट्रीय कृषि आयोग की अंतरिम रिपोर्ट, 'प्रोडक्शन फारेस्ट्रीः मैन–मेड फारेस्ट्स' (1972) के आधार पर रूपये 20 करोड़ की अधिकृत पूंजी से मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम की स्थापना 24 जुलाई 1975 को की गई थी। 31 अक्टूबर 2006 से निगम की अधिकृत अंशपूंजी रूपये 40 करोड़ तथा प्रदत्त अंशपूंजी रूपये 39,31,75,600 है, जिसमें से केन्द्र शासन का अंशदान रूपये 1,38,60,000 एवं मध्यप्रदेश शासन का अंशदान रूपये 37,93,15,600 है।

निगम की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य निम्न कोटि के वन क्षेत्रों को तेजी से बढ़ने वाली बहुमूल्य तथा बहुउपयोगी प्रजातियों के रोपण द्वारा उच्च कोटि के वनों में परिवर्तित कर उत्पादन क्षमता एवं गुणवत्ता में सुधार लाना है।

गतिविधियां एवं उपलब्धियां

सागौन एवं बांस का व्यावसायिक रोपण निगम की मुख्य गतिविधि है। निगम विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत व्यावसायिक बैंको से ऋण प्राप्तकर वन विभाग द्वारा हस्तांतरित वन भूमि पर रोपण करता है। वर्ष 1976 से वर्ष 2008 तक विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत निम्न रोपण कार्य किया गया है।

(क्षेत्रफल हेक्टेयर में)

	योजना	उपलब्धियां
	वन विकास निगम की योजनाएं	
1.	वर्षा आधारित सागौन रोपण	1,58,366
2.	सिंचित सागौन रोपण	533
3.	सागौन हाई इनपुट	533
4.	बांस रोपण	20,768
5.	मिश्रित रोपण	2,190
6.	12 वें वित्त आयोग से अनुदान प्राप्त सागौन रोपण योजना	5,373
	योग	1,87,763

7.	बिगड़े वनों का सुधार सह बांस रोपण योजना *(योजना 1996 से समाप्त)*	5,167
8.	बिगड़े बांस वनों का सुधार *(योजना 2003 से समाप्त)*	13,179
	योग	18,346
	महायोग	2,06,109
9.	केन्द्र प्रवर्तित लघुवनोपज (औषधि पौधों सहित) का रोपण *(योजना 1996 से समाप्त)*	4,745
10.	केन्द्र प्रवर्तित गैर इमारती वनोपज का संरक्षण एवं विकास (औषधि पौधों सहित) *(योजना 2000 से समाप्त)*	1,841
11.	विशेष केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत सबई सीसल रोपण *(योजना 1997 से समाप्त)*	1,560
12	केन्द्रीय औषधीय पादप बोर्ड, नई दिल्ली से अनुदान प्राप्त औषधि रोपण योजना *(योजना 2008–09 से प्रारंभ)*	167
	योग	8,313
	राज्य शासन की योजनाएं	
13.	सूखा उन्मुख क्षेत्र कार्यक्रम	
अ.	वृक्षारोपण एवं चारागाह विकास *(योजना 1995 से समाप्त)*	90,454
ब.	सड़क किनारे वृक्षारोपण (रो.कि.मी.) *(योजना 1995 से समाप्त)*	334
14.	सरदार सरोवर परियोजना के अंतर्गत क्षतिपूरक वृक्षारोपण *(योजना 1997 से समाप्त)*	4,287
15.	मोहिनी सागर जलग्रहण क्षेत्र उपचार कार्य	29,724
16.	माहेश्वर बांध जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजना	1,158
17.	नया हरसूद (छनेरा) में रोपण	73,850 पौधे
18.	खदानी एवं औद्योगिक संस्थानों के क्षेत्रों पर डिपाजिट वर्क के अंतर्गत रोपण ।	229 लाख पौधे

निगम का लेखा

वर्ष 2006–07 तक निगम का लेखा अद्यतन कर दिनांक 8.7.2008 को विधान सभा पटल पर रखा गया। कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (4) के अंतर्गत वर्ष 2007–08 के लेखा का पूरक अंकेक्षण प्रगति पर है। स्थापना वर्ष से ही निगम निरतंर लाभ में चल रहा है। वर्ष 2006–07 तक संचित लाभ रूपये 23.19 करोड़ (कर पश्चात) है। वर्ष 2006–07 के लिये राज्य शासन को रूपये 75.86 लाख तथा भारत सरकार को रूपये 2.77 लाख लाभांश का भुगतान वर्ष 2008–09 में किया गया है।

उद्देश्यों की पूर्ति

स्थापना के 33 वर्षो की अवधि में निगम के उद्देश्यों की पूर्ति में आशातीत सफलता प्राप्त हुई है। इस अवधि में निगम द्वारा 2,06,109 हेक्टेयर निम्न कोटि के वनों को उच्च कोटि के वनों में परिवर्तित किया गया है। इस महती लक्ष्य की पूर्ति निगम द्वारा वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेकर की गई एवं निगम द्वारा बैंक को समय समय पर ऋण और ब्याज का भुगतान भी किया गया है। गैर वन भूमि वनीकरण के क्षेत्र में निगम प्रदेश की

विशेष एजेंसी के रुप में उभरा है तथा विभिन्न शासकीय उपक्रमों के लिए वनीकरण का कार्य कर निगम ने पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

बजट की स्थिति

निगम के संचालक मंडल की बैठक में वर्ष 2009–10 का बजट निम्नानुसार अनुमोदित किया गया है –

क्र.	विवरण	बजट अनुमान (लाख रूपये में)
(अ)	**प्रारंभिक बैंक शेष**	**10039**
(ब)	**प्राप्तियां / आय**	
1.	विदोहन से (कर के पश्चात)	11700
2.	डिपाजिट रोपण हेतु प्राप्तियां	645
3.	मोहिनी सागर जलग्रहण हेतु जल संसाधन विभाग से	120
4.	12 वें वित्त अयोग से ग्रीनिंग परियोजना हेतु अनुदान	486
5.	महेश्वर बांध जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजना	10
6.	भारत ओमान बीना रिफायनरी	55
7.	म 0 प्र0 शासन से कमीशन	145
8.	एन.एम.पी.बी. दिल्ली से औषधि रोपण हेतु प्राप्ति	34
9.	विविध आय	950
	योग ब (1 से 9)	**14145**
	योग (अ+ ब)	**24184**
(स)	**व्यय/ भुगतान**	
1.	वृक्षारोपण/ पुनरूत्पादन व्यय	4179
2.	विदोहन व्यय	3076
3.	रख–रखाव	290
4.	स्थापना व्यय	3790
5.	पूंजीगत व्यय	750
6.	आयकर एवं फ्रिंज बेनिफिट टैक्स भुगतान	257
7.	ईकोपर्यटन विकास बोर्ड को भुगतान	25
8.	फ्रिंज बेनिफिट एवं आयकर भुगतान	257
9.	म.प्र. शासन/ भारत सरकार को लाभांश का भुगतान	236
10.	म.प्र.शासन को लीज रेंट का भुगतान	4158
11.	अनुसंधान विकास एवं कार्य आयोजना व्यय	50
12.	अतिरिक्त बजट स्वीकृति	50
	योग स (1 से 12)	**16861**
(द)	**अंतिम बैंक शेष**	**7323**
	योग (स + द)	**24184**

वृक्षारोपण की उपलब्धियां

विगत चार वर्षों में विभिन्न योजनाओं में निम्नानुसार वृक्षारोपण किए गए हैं –

वन विकास निगम द्वारा किए गए वृक्षारोपण (क्षेत्रफल हेक्टेयर में)

योजना	2005	2006	2007	2008	योग
सागौन (वर्षा आधारित)	6,258	5,798	8,751	10,028	30,835
मोहिनी सागर बांध जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजना	3,936	–	4,200	3,584	11,720
माहेश्वर बांध जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजना	–	–	1,158	–	1,158
12वें वित्त आयोग के अनुदान से प्राप्त सागौन रोपण योजना	–	648	2,358	2,367	5,373
केन्द्रीय औषधीय पादप बोर्ड, दिल्ली से अनुदान प्राप्त औषधि रोपण	–	–	–	167	167
योग	**10,194**	**6,446**	**16,467**	**16,146**	**49,253**
डिपाजिट वर्क (*पौधों की संख्या, लाख में*)	11.00	5.20	8.74	7.68	32.62

श्रमिक कल्याणकारी योजनाएं

श्रमिक कल्याणकारी या महिलाओं के लिये पृथक से कोई योजना निगम द्वारा नहीं चलाई जा रही है। परंतु निगम द्वारा संचालित समस्त वानिकी कार्य बिना भेदभाव के महिला एवं पुरूष श्रमिकों द्वारा ही सम्पन्न किए जाते हैं। निगम का अधिकांश कार्यक्षेत्र आदिवासी बहुल है। निगम की स्थाई रोपणियों में वर्ष भर लगातार कार्य उपलब्ध रहता है, जिसमें अधिकांश महिलाएं कार्यरत हैं। निगम के अन्य वानिकी कार्यों में भी महिलाओं को रोजगार के बराबर अवसर प्रदान किये जाते हैं। इन कार्यों में मजदूरी के रूप में वर्ष 2008–09 में लगभग रूपये 45.02 करोड़ का भुगतान किये जाने की संभावना है।

परिशिष्ट दो

मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ

मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ का गठन 1984 में किया गया। संघ के गठन के समय से राज्य के लघु वनोपजों का संग्रहण तथा व्यापार प्रबंधन संघ द्वारा किया जा रहा है, तथा वर्ष 1989 में इस व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ और लघु वनोपज के संग्रहण कार्य में संलग्न प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य कमजोर वर्ग के ग्रामीणों की आर्थिक व सामाजिक उत्थान हेतु वनोपज के संग्रहण एवं विपणन का कार्य सहकारी समितियों के माध्यम से किये जाने का निर्णय लिया गया। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु संपूर्ण प्रदेश में वास्तविक संग्रहणकर्ताओं की सदस्यता से 1066 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियां कार्यरत हैं। क्षेत्रीय वनमंडलों के स्तर पर वर्तमान में 60 जिला लघु वनोपज यूनियन बनाये गये हैं। इस त्रिस्तरीय सहकारी संरचना के शीर्ष स्तर पर मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ पहले से ही कार्यरत है। प्रदेश के वनवासियों को अराष्ट्रीयकृत वनोपज जैसे चिरोंजी, शहद, माहुल पत्ता, आंवला एवं औषधीय वनोपजों का निःशुल्क संग्रहण करने की छूट दी गई है। संघ की विभिन्न गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है –

राष्ट्रीयकृत वनोपज

तेंदूपत्ताः विगत तीन वर्षों में संग्रहण एवं निर्वतन की जानकारी की जानकारी निम्नानुसार है –

संग्रहण वर्ष	संग्रहण दर (रु. प्रति मा. बो.)	कुल गोदामीकृत मात्रा	संग्रहण मजदूरी की राशि	अब तक विक्रय की गई मात्रा	विक्रय मूल्य
2006	400	17.97	71.88	17.97	151.33
2007	450	24.21	108.94	24.21	373.64
2008	550	18.15	99.82	16.52	201.86

(मात्रा लाख मानक बोरा में; राशि करोड़ रूपये में)

संग्रहण वर्ष 2009 में अग्रिम निविदा द्वारा 890 लाटों की अनुमानित मात्रा 23.79 लाख मानक बोरे का अग्रिम में रूपये 310.02 करोड़ के विक्रय मूल्य पर निर्वतन किया जा चुका है। जिन लाटों का अग्रिम निर्वर्तन नहीं

हो पाया है, वहां पूर्व वर्षो के अनुसार समितियों द्वारा संग्रहित तेंदूपत्ता उपचारण, बोरा भराई, परिवहन एवं गोदामीकरण के उपरांत गोदाम से निर्वर्तित किया जाएगा।

सालबीजः साल बीज संग्रहण पर म.प्र. शासन द्वारा प्रदेश में 2007 से 2011 (पांच वर्ष) हेतु पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया था। वर्ष 2008 से प्रदेश में सालबीज संग्रहण पर लगा प्रतिबंध उठा लिया गया। सालबीज संग्रहण एवं निर्वतन की जानकारी की जानकारी निम्नानुसार है –

संग्रहण वर्ष	संग्रहित मात्रा (क्विंटल)	निर्वर्तित मात्रा (क्विंटल)	प्राप्त विक्रय मूल्य (लाख रूपये)	औसत विक्रय दर (रूपये)
2008	89.22	89.22	1.13	1268
2009	संग्रहण कार्य प्रगति पर			

कुल्लू गोंदः विगत चार वर्षो में संग्रहण एवं निर्वतन की जानकारी की जानकारी निम्नानुसार है –

संग्रहण वर्ष	संग्रहित मात्रा (क्विंटल)	निर्वर्तित मात्रा (क्विंटल)	प्राप्त विक्रय मूल्य (लाख रूपये)	औसत विक्रय दर (रूपये)
2005–06	333.90	330.90	23.08	6977
2006–07	567.25	567.25	50.31	8869
2007–08	234.89	232.39	19.62	8441
2008–09	178.88	132.66	12.61	9502

सामाजिक सुरक्षा समूह जीवन बीमा योजना

वर्ष 1991 से प्रदेश के समस्त तेंदूपत्ता संग्राहकों के कल्याण हेतु एक निःशुल्क सामाजिक सुरक्षा समूह बीमा योजना प्रारम्भ की गई। 1997 से योजना में सम्मिलित किसी भी संग्राहक की सामान्य मृत्यु होने पर उनके नामांकित व्यक्ति को रूपये 3500 की राशि तथा यदि कोई संग्राहक दुर्घटना के कारण आंशिक रुप से विकलांग हो जाता है तो आंशिक विकलांगता के लिए रूपये 12,500 तथा यदि दुर्घटना में व्यक्ति पूर्णतः विकलांग हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उसे या उसके उत्तराधिकारी को रूपये 25,000 की राशि देने का प्रावधान है। इस योजना के अर्न्तगत अब तक 1.91 लाख दावों का निराकरण किया जाकर रूपये 77.54 करोड़ की राशि मृत तेंदूपत्ता संग्राहकों के परिवारों को भुगतान की जा चुकी है।

प्रोत्साहन पारिश्रमिक

वर्ष 1997 तक संघ द्वारा लघु वनोपज व्यापार का शुद्ध लाभ राज्य शासन को रायल्टी के रूप में भुगतान किया जाता रहा। संविधान के 73वें संशोधन के फलस्वरूप लघु वनोपज का स्वामित्व ग्राम सभाओं को सौंपा गया है। प्रदेश में लघु वनोपज व्यवसाय से ग्रामीणों को उचित लाभ दिलाने के लिए अनेक नीतिगत निर्णय लिये गये हैं। लघु वनोपज व्यवसाय से होने वाली संपूर्ण शुद्ध आय प्राथमिक सहकारी वनोपज समितियों को उपलब्ध कराई जा रही है। इस व्यवस्था को लागू करने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है। संग्रहण वर्ष 2004 से इस शुद्ध आय का 60 प्रतिशत भाग संग्राहकों को उनके द्वारा संग्रहित मात्रा के अनुपात में प्रोत्साहन पारिश्रमिक के रूप में नकद भुगतान करने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त 20 प्रतिशत भाग वनों के पुनरूत्पादन पर लगाया जा रहा है तथा शेष राशि सहकारी समितियां अपने विवेक अनुसार ग्राम की मूलभूत सुविधाओं के विकास में व्यय कर रही हैं। इसके अंतर्गत ग्रामों में पेयजल एवं सिंचाई की सुविधाओं का विकास किया जा रहा है तथा गोदामों एवं लघु वनोपज प्रसंस्करण केंद्रों का निर्माण तथा औषधि उद्यान की स्थापना के कार्य किये जा रहे हैं। यह व्यवस्था वर्ष 1998 सीजन से लागू की गई। इस व्यवस्था के अंतर्गत विगत चार वर्षों में वितरित प्रोत्साहन पारिश्रमिक की राशि का विवरण निम्नानुसार है –

संग्रहण वर्ष	प्रोत्साहन पारिश्रमिक की वितरित राशि (रूपये करोड़ में)
2004	11.80
2005	13.23
2006	27.41
2007	114.60

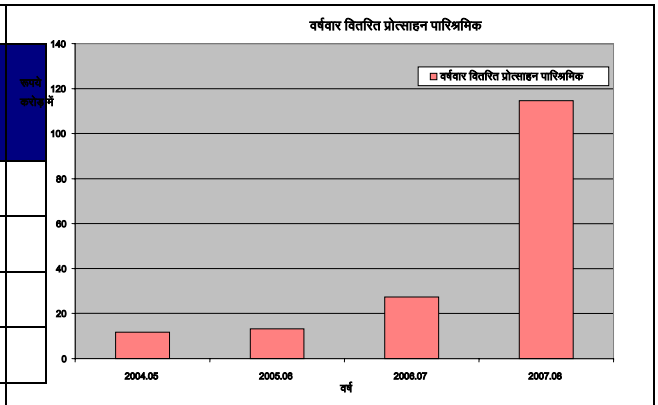

अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज

वनोपज संग्राहकों को उनके द्वारा संग्रहित वनोपज का उचित मूल्य दिलाने एवं लघु वनोपज का विनाश–विहीन सतत विदोहन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गत वर्षों में विभिन्न अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपजों का संग्रहण प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के माध्यम से कराया जा रहा है। समितियों द्वारा इस प्रकार संग्रहित वनोपजों को अच्छी प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर विक्रय के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है ताकि इस व्यापार से भी समितियों को लाभ अर्जित हो। इस प्रकार अर्जित लाभ में से भी संग्राहकों को राशि भुगतान की जाती है ।

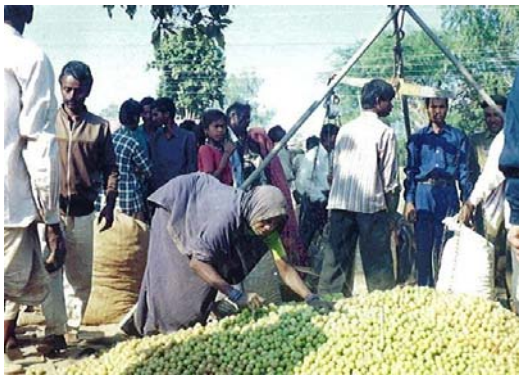

राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड द्वारा स्वीकृत योजनाएं

राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा औषधीय कृषि को प्रोत्साहन देने के लिये वित्तीय सहायता की योजना भी प्रारम्भ की गई है, जिसके अन्तर्गत वर्ष 2002–03 से कृषकों से प्राप्त प्रस्ताव परीक्षण उपरांत राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड, नई दिल्ली को प्रेषित किये जाते हैं। अब तक निम्नानुसार प्रस्ताव स्वीकृत हुए हैं –

वर्ष	स्वीकृत प्रस्तावों की संख्या	स्वीकृत अनुदान राशि (लाख रूपये में)
2002–03	42	236.90
2003–04	261	631.81
2004–05	266	593.98
2005–06	200	351.67
2006–07	280	580.29
2007–08	135	326.91
योग	**1184**	**2721.56**

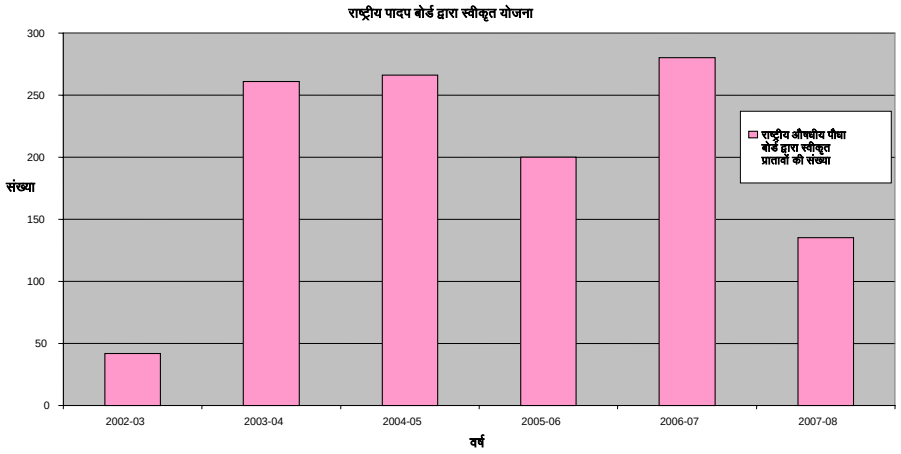

अन्य योजनाएं

1. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य उपयोग में आने वाली औषधियों के रोपण पर बल देते हुये कटनी जिले में एक महत्वाकांक्षी योजना, 'वनस्पति वन' का क्रियान्वयन प्रगति पर है। इस पंचवर्षीय योजना की लागत रू. 5.00 करोड़ है, जिसमें से रू. 4.51 करोड़ की राशि व्यय की गई है। सम्पादित रोपणों में प्राप्त उत्पादों का प्रसंस्करण कर उनका विपणन भी प्रारम्भ किया गया है। औषधीय पौधों द्वारा स्वास्थ्य रक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु बाड़ी उद्यान या किचन गार्डन परम्परा को पुनर्जीवित किया जा रहा है।

2. औषधीय पौधों के विपणन के लिये भोपाल, बालाघाट, छिन्दवाड़ा, कटनी, सिवनी, खण्डवा, खरगोन, बड़वानी, रेहटी (सीहोर), होशंगाबाद, नरसिंहपुर, सतना, मैहर, इंदौर, पन्ना, ग्वालियर, अमरकंटक, कपिलधारा, छतरपुर एवं रीवा में 'संजीवनी आयुर्वेद' के नाम से **22** विक्रय केन्द्र प्रारंभ किये गये हैं। इन विक्रय केन्द्रों के माध्यम से अर्द्ध तथा पूर्ण प्रसंस्कृत लघु वनोपज तथा औषधीय उत्पाद आम जनता को विक्रय किया जाता है। विपणन किये जा रहे उत्पादों में आंवला मुरब्बा, अर्जुन चाय, शहद, गोंद, बेल, गुड़मार एवं त्रिफला चूर्ण आदि प्रमुख हैं। आवश्यकता एवं उत्पादों की उपलब्धता के आधार पर अन्य स्थानों पर भी ऐसे केन्द्र स्थापित करने पर विचार किया जाएगा।

3. औषधीय पौधों के प्रसंस्करण केन्द्र की स्थापना हेतु रूपये 4.02 करोड़ की लागत राशि के विरुद्ध मंडी बोर्ड से रुपये 3.62 करोड़ की वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है एवं इस केन्द्र की स्थापना का कार्य बरखेड़ा पठानी, भोपाल में किया जा रहा है। इस केन्द्र में प्रसंस्करण, प्रशिक्षण एवं औषधीय पौधों के प्रयोगशाला जांच की व्यवस्था उपलब्ध है। इस वर्ष 105 कृषकों, कर्मचारियों, समिति के प्रतिनिधियों को इस केन्द्र से प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इस केन्द्र को खाद्य एवं औषधीय नियंत्रक, मध्यप्रदेश से औषधीय निर्माण हेतु 250 उत्पादों के लायसेंस प्राप्त हैं।

4. प्रदेश में लघु वनोपजों तथा औषधीय पौधों के प्रसंस्करण को बढ़ावा देने एवं उनके व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए जिला यूनियनों को संघ मुख्यालय से ऋण निधि से कम दर (4 प्रतिशत) के ब्याज पर रूपये 534.82 लाख की राशि उपलब्ध कराई गई है।

5. राष्ट्रीयकृत लघु वनोपजों के व्यापार से प्राप्त होने वाली शुद्ध आय के 20 प्रतिशत भाग से वनों के पुनरूत्पादन हेतु 17 जिलों की 21 जिला यूनियनों (उत्तर सिवनी, दक्षिण सिवनी, भोपाल, सीहोर, दक्षिण पन्ना, डिंडोरी, श्योपुरकला, पूर्व छिंदवाड़ा, पश्चिम छिंदवाड़ा, दक्षिण छिंदवाड़ा, दक्षिण शहडोल, अनूपपुर, सतना, जबलपुर, हरदा, छतरपुर, नरसिंहपुर, दक्षिण बैतूल, दक्षिण सागर, उत्तर पन्ना, एवं पूर्व मण्डला) में लोक संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना का कार्य प्रगति पर है। इसके लिए संघ मुख्यालय से रूपये 22.64 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई गई है।

6. स्थानीय लोगों में वनौषधियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने, प्रदेश की विभिन्न समितियों द्वारा उत्पादित हर्बल उत्पादों के विपणन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष भोपाल में राष्ट्रीय वनमेला आयोजित किया जाता है। इसी प्रकार जबलपुर, ग्वालियर एवं इन्दौर में भी वन मेले आयोजित किये गए हैं। प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी इस प्रकार के मेले आयोजित करने पर विचार किया जा रहा है।

7. राज्य के हथकरघा संचालनालय के सहयोग से प्रदेश के तीन जिलों, बालाघाट, सिवनी एवं छिंदवाड़ा में सीसल रेशे से उत्पाद तैयार कर उनका विपणन करते हुये हितग्राहियों को लाभान्वित किये जाने की योजना भी संचालित हो रही है। परियोजना की लागत रूपये 34 लाख है। इसी प्रकार प्रदेश में लाख का उत्पादन लगातार बढ़ाते हुये आगामी वर्ष की समाप्ति तक 60,000 क्विंटल किये जाने की दृष्टि से लाख प्रशिक्षण और पलाश के वृक्षों की पहचान कर उन्हें संचारित किये जाने का कार्य प्रगति पर है।

8. भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली से ग्रांट–इन–एड परियोजना के अंतर्गत रूपये 5.00 करोड़ की योजना स्वीकृत की गई है, जिसमें से रूपये 3.00 करोड़ अंशपूंजी को छोड़कर रूपये 2.00 करोड़ की राशि से प्रसंस्करण केन्द्रों की स्थापना की जा रही है। योजना के अंर्तगत शहद प्रसंस्करण केन्द्र, आंवला मुरब्बा एवं शर्बत प्रसंस्करण केन्द्र, औषधीय पौधा प्रसंस्करण केन्द्र, कॉमन फैसिलिटी सेंटर, तथा केतकी रेशा एवं सवई रस्सी उत्पादन केन्द्र से संबंधित कार्य श्योपुर, देवास, छिन्दवाड़ा, डिंडोरी, पन्ना, ग्वालियर, सीहोर, अनूपपुर, बालाघाट, सिवनी, मंडला एवं नरसिंहपुर जिलों में किए जा रहे हैं। रतलाम में बायोडीजल संयंत्र तथा देवास में नागरमोथा संयंत्र की स्थापना की गई है। भारत सरकार के जनजाति कल्याण मंत्रालय से राशि रुपये 4.63 करोड़ वर्ष 2008–09 में प्राप्त हुए हैं, जिनसे विभिन्न प्रकार के प्रसंस्करण केन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं।

वर्ष 2009 में भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत ग्राण्ट–इन–एड मद में लघु वनोपज के प्रसंस्करण कार्यों हेतु रूपये 372.00 लाख की राशि स्वीकृत की गई है, जो शीघ्र प्राप्त होने की संभावना है।

9. भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय से स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंर्तगत दो जिला यूनियन बालाघाट एवं ग्वालियर भागीदार हैं। उच्च तकनीक आंवला रोपण से संवहनीय रोजगार योजना के अंतर्गत रूपये 466.10 लाख की योजना स्वीकृत की गई है। योजना में भारत सरकार से रूपये

139.83 लाख की राशि मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, ग्वालियर को, जो योजना के नोडल अधिकारी हैं, प्राप्त हुई है।

10. औषधीय पौधों के उत्पादकों एवं व्यापारियों के हित में भोपाल, इन्दौर एवं जबलपुर में वर्तमान में कृषि उपज मंडियों में औषधीय उत्पादों के विपणन के लिये सुविधा उपलब्ध कराने बाबत घोषणा माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा राष्ट्रीय वन मेला 2004 के समापन समारोह में की गई थी। उक्त घोषणा के तारतम्य में अक्टूबर 2005 के प्रथम सप्ताह से भोपाल, इन्दौर और जबलपुर की कृषि उपज मंडियों में औषधीय पौधों के उत्पादों के विपणन की व्यवस्था की गई है। तत्पश्चात मंदसौर, नीमच, छिंदवाड़ा, शिवपुरी, श्योपुर तथा लश्कर में हर्बल मंडी स्थापित करने हेतु मंडी बोर्ड द्वारा आदेश जारी किये गए हैं।

11. भारत सरकार से एफ.आर.एल.एच.टी., बैंगलोर के माध्यम से यू.एन.डी.पी. परियोजना में रूपये 452.50 लाख की राशि स्वीकृत की गई है। उक्त योजना में यू.एन.डी.पी. का अंशदान रुपये 137.50 लाख तथा संघ का अंशदान रुपये 285.00 लाख है। योजना में संघ को रुपये 129.62 लाख की राशि प्राप्त हुई है। योजना में मध्य प्रदेश रूरल लाइवलिहुड प्रोजेक्ट संस्था का अंशदान रुपये 30.00 लाख है। संघ द्वारा यू.एन.डी.पी. योजना में जिला अनूपपुर, मंदसौर, पन्ना, छिंदवाड़ा, छतरपुर, बालाघाट, खंडवा, सीहोर, नरसिंहपुर, सागर (दक्षिण सागर वनमंडल), पन्ना (टायगर रिजर्व), मंडला (कान्हा टायगर रिजर्व) तथा होशंगाबाद (सतपुड़ा टायगर रिजर्व) में औषधीय पौधा संरक्षण क्षेत्रों की स्थापना की गई है। योजना के अंतर्गत अनूपपुर तथा श्योपुर में चयनित प्रजातियों के लिये संवहनीय विदोहन के मापदण्डों के निर्धारण हेतु स्थल चयन कर प्रक्रिया आरंभ की गई है।

राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा प्रसंस्करण केद्रों में कच्चे माल की आपूर्ति हेतु औषधीय पौधरोपण केद्रों की स्थापना हेतु 11 जिला यूनियनों (खंडवा, देवास, भोपाल, सीहोर, पूर्व छिन्दवाड़ा, इंदौर, जबलपुर, नरसिहपुर, श्योपुर, कटनी एवं शिवपुरी) में कुल 800 हेक्टेयर क्षेत्र हेतु रूपये 640.00 लाख की योजना स्वीकृत की गई है, जिसमें संघ को रूपये 380.00 लाख की राशि शीघ्र प्राप्त होनी है।

– – – – –

परिशिष्ट तीन

राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर

राज्य वन अनुसंघान संस्थान, जबलपुर वर्ष 1963 में स्थापित हुआ तथा म.प्र. शासन, वन विभाग के आदेश क्र. 3/6/ 94–70–1 दिनांक 29.10.1994 द्वारा इसे स्वायत्त संस्थान घोषित किया गया। इसके फलस्वरूप संस्थान 2 अगस्त 1995 को रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसायटी एक्ट के अंतर्गत स्वायत्त संस्थान के रूप में पंजीकृत हुआ।

संरचना

संस्थान के संचालक मंडल में 13 सदस्य हैं। संस्थान में संचालक का पद प्रधान मुख्य वन संरक्षक के स्तर का है तथा मुख्य वन संरक्षक स्तर के दो अपर संचालक पदस्थ हैं। इनके अतिरिक्त दो वन संरक्षक स्तर के, एक उप वन संरक्षक स्तर के, तथा चार सहायक वन संरक्षक स्तर के वन अधिकारी पदस्थित हैं। साथ ही, 7 वैज्ञानिक, एक वन क्षेत्रपाल, 14 अनुसंधान अधिकारी, दो वरिष्ठ अनुसंधान सहायक, एक प्रयोगशाला तकनीकीशियन, एक लेजर सहायक, एक प्रयोगशाला सहायक, तीन क्षेत्र सहायक, एक वनपाल, 7 वनरक्षक एवं तीन तकनीकी सहायक (संविदा) पदस्थ हैं।

उद्देश्य

यह संस्थान वन वनस्पति, वनवर्धन, वृक्ष सुधार, बीज तकनीकी, जैव विविधता, वन अनुवांशिकी, जैव प्रौद्योगिकी, वनोपज विपणन, वन विस्तार, वन मापिकी, पर्यावरणीय प्रभाव इत्यादि में व्यवहारिक शोध के माध्यम से तकनीकें विकसित कर उनके प्रचार प्रसार का कार्य करता है ।

मुख्य गतिविधियां

संस्थान की अनुसंधान गतिविधियां वर्तमान में निम्न मुख्य विषयों पर केन्द्रित हैं –

- कार्बनिक अपशिष्टों से वर्मीकल्चर एवं वर्मीकम्पोस्ट का उत्पादन एवं ग्रामीणों में इस तकनीक का प्रचार–प्रसार।
- जैविक खाद का उत्पादन।
- राष्ट्रीय नेटवर्क के अंतर्गत जेट्रोफा का एकीकृत विकास।
- प्राकृतिक वनक्षेत्रों, राष्ट्रीय उद्यानों एवं लोक संरक्षित क्षेत्रों में उपलब्ध जैवविविधता का सर्वेक्षण एवं सकंटापन्न प्रजातियों की पहचान।
- विभिन्न प्रजातियों के वृक्षों पर लाख का

उत्पादन एवं ग्रामीण जनता में विकसित तकनीक का प्रचार–प्रसार।

- उत्तम गुणवत्ता वाले बीजों का संग्रहण, उपचारण, भंडारण, प्रमाणीकरण एवं वितरण।
- विभिन्न वानिकी प्रजातियों की रोपणी तकनीकों का विकास।
- कायिक प्रवर्धन, संतति परीक्षण एवं वृक्षों की अच्छी किस्में तैयार करना।
- औषधीय पौधों का अन्तः एवं बाह्य स्थलीय संरक्षण एवं विकास।
- लघु वनोपज, औषधीय एवं सुगंधित पौधों का संसाधन सर्वेक्षण।
- लघु वनोपज तथा औषधीय पौधों का सतत विदोहन, प्रसंस्करण, श्रेणीकरण, विपणन, सूखत तकनीक, सतत प्रबंधन, भण्डारण तकनीकों का विकास एवं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार प्रसार।
- औषधीय पौधों के साथ कृषि वानिकी तकनीकी का विकास।
- सागौन के वृक्षों के पत्तों में लगने वाले कीड़ों की जैविक रोक–थाम हेतु प्रयास।
- जैव प्रोद्यौगिकी द्वारा वृहत स्तर पर वन प्रजातियों के अधिक पैदावार वाले फलदार वृक्षों को तैयार कर मंडला जिले के जनजाति बहुल क्षेत्र में वितरण।
- स्टीविया प्रजाति की कृषि तकनीकी का विकास, मानकीकरण एवं उच्च गुणवत्ता वाले पौधों का विकास।
- संकटापन्न औषधि पौधों की निम्नताप संरक्षण की तकनीक का मानकीकरण।
- बांस प्रजाति के उत्तम गुणवत्ता वाले पौधों के प्रादर्श भूखंडों की स्थापना।
- प्राकृतिक वन संसाधन एवं लघु वनोपज सूचना प्रणाली तकनीक का विकास।

उपरोक्त गतिविधियों के अतिरिक्त संस्थान द्वारा वर्तमान में वन विभाग से संबंधित निम्नलिखित अध्ययन कार्य भी लिए गए हैं –

- नमूना भूखण्डों का मापन एवं फार्म फैक्टर, आयतन एवं प्राप्ति तालिकाएं तैयार करना।
- सलई गोंद के सूखत प्रतिशत का निर्धारण।
- मध्यप्रदेश में बांस के सामूहिक रूप से पुष्पित वनों में बांस की पुनर्स्थापना के लिए किए गए विभिन्न उपचारों का अध्ययन।
- मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम द्वारा किये जाने वाले विभिन्न वृक्ष प्रजातियों (बांस एवं सागौन के अतिरिक्त) के वृक्षारोपणों की तकनीक तथा वित्तीय विषयों का अध्ययन।
- मध्यप्रदेश में जैव विविधता के संरक्षण में सैक्रेड ग्रोव्ज के महत्व का अध्ययन।
- परिरक्षित भूखण्डों की स्थापना एवं पारिस्थितकी का अध्ययन।

अनुसंधान परियोजनाओं की प्रगति

वर्ष के दौरान संस्थान में चल रही अनुसंधान परियोजनाओं में से 13 परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूर्ण किया गया तथा 13 नवीन परियोजनायें प्रांरभ की गईं।

अनुश्रवण और मूल्यांकन

संस्थान द्वारा निम्न अनुश्रवण और मूल्यांकन कार्य लिए गए हैं –

- मध्यप्रदेश वन विकास निगम द्वारा लगाये गये सागौन वृक्षारोपणों का मूल्यांकन।
- लोक संरक्षित क्षेत्रों एवं संरक्षित क्षेत्रों का मूल्यांकन।
- विभिन्न वनमंडलों द्वारा वनग्रामों में कराये गये विकास कार्यों का मूल्यांकन एवं अनुश्रवण का कार्य।
- 12वें वित्त आयोग के अंतर्गत वर्ष 2005–06 में वनमंडलों में कराये गये कार्यों का मूल्यांकन कार्य।
- वन विकास अभिकरणों के माध्यम से कराये गये कार्यों का मूल्यांकन ।

प्रकाशन तथा अन्य गतिविधियां

उपरोक्त गतिविधियों के अतिरिक्त संस्थान के वैज्ञानिकों पर संस्थान परिसर में स्थापित वानस्पतिक उद्यान के विकास व सुदृढीकरण तथा संस्थान स्थित जीन बैंक, मिस्ट चेम्बर, हरबेरियम और वन संग्रहालय के विकास और रख–रखाव का दायित्व भी है। वैज्ञानिकों द्वारा विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं तथा वानिकी से संबंधित प्रचार–प्रसार भी किया जाता है। संस्थान द्वारा दो त्रैमासिक पत्रिकाओं 'वानिकी संदेश' तथा 'वन–धन' का प्रकाशन भी किया जाता है।

संस्थान द्वारा प्रदत्त सेवाएं

संस्थान द्वारा निम्न अनुसंधान सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं –

- कृषकों, उद्यमियों, छात्रों एवं वन अधिकारियों को औषधीय पौधों की कृषि तकनीक, उनके प्राथमिक प्रसंस्करण, भंडारण, ऊतक संवर्धन एवं रोपणी विकसित करने संबंधी प्रशिक्षण।
- विभिन्न वृक्ष प्रजातियों के रोपण संबंधी एवं औषधीय पौधों की कृषि तकनीक की जानकारी उपलब्ध कराना।
- बीज प्रमाणीकरण
- मृदा विश्लेषण
- उत्तम गुणवत्ता के बीजों एवं रोपण सामग्री का प्रदाय।
- औषधीय, विशेषतः सर्पगंधा, गूगल, ब्राम्ही, गुड़मार एवं कलिहारी का रासायनिक परीक्षण कर रासायनिक रेखाचित्र तैयार करना।
- वन विभाग, अन्य शासकीय व अशासकीय संगठनों तथा व्यक्तियों को वानिकी विषयों पर व्यावसायिक तकनीकी परामर्श देना।
- वानिकी विषयों पर अनुसंधानरत छात्रों को मार्ग दर्शन एवं अनुसंधान सुविधाएं उपलब्ध कराना।
- लोक संरक्षित क्षेत्रों तथा अन्य वन क्षेत्रों में वन संसाधन सर्वेक्षण।

- इमारती काष्ठ वृक्ष प्रजातियों की फार्म फैक्टर तालिकाएं, प्राप्ति तालिकाएं और आयतन तालिकाएं तैयार करना।
- पर्यावरण संघात निर्धारण (एन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेस्मेंट) एवं विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में वनीकरण हेतु परामर्श।
- लघु वनोपज विपणन सूचना तंत्र (एम.आई.एस.) का विकास एवं त्रैमासिक पत्रिका 'वन धन' के माध्यम से उसका प्रचार प्रसार करना।
- तकनीकी मैन्युअल एवं प्रचार प्रसार हेतु पाठन सामग्री इत्यादि तैयार करना।
- पुस्तकालय एवं प्रलेख शाखा में संग्रहित दुर्लभ वानिकी अनुसंधान अभिलेखों को वानिकीविदों एवं शोधार्थियों को उपलब्ध कराना।
- संस्थान में स्थापित संग्रहालय के माध्यम से वन संरक्षण एवं वन संसाधनों के विकास हेतु किये जा रहे प्रयासों का प्रदर्शन।
- विभिन्न वन मेलों एवं प्रदर्शनियों में भाग लेकर जन साधारण को वन अनुसंधान के लाभ से अवगत कराना।
- विभिन्न वानिकी अनुसंधान विषयों पर प्रशिक्षण, संगोष्ठियों एवं कार्यशालाओं का आयोजन।

वित्तीय स्रोत

राज्य वन अनुसंधान संस्थान को वन विभाग के आयोजनेत्तर बजट के अंतर्गत अनुदान तथा बाह्य संस्थाओं को भेजी गयी परियोजनाओं से वित्तीय आबंटन प्राप्त होता है। विगत तीन वर्षों के दौरान प्राप्त वित्तीय आबंटन तथा व्यय का विवरण निम्नानुसार है –

(राशि लाख रूपये में)

बजट मद	2006–07		2007–08		2008–09	
	प्रावधान	**व्यय**	**प्रावधान**	**व्यय**	**प्रावधान**	**व्यय**
10–2406 आयोजनेत्तर/ सहायक अनुदान	पूर्व का शेष 34.77 आबंटन 157.50 **योग 192.27**	191.34	पूर्व का शेष 0.93 आबंटन 192.50 **योग 193.43**	221.79	295.00	278.38
12वें वित्त आयोग से प्राप्त	पूर्व का शेष 29.30 आबंटन 0.00 **योग 29.30**	15.47	पूर्व का शेष 13.83 आबंटन 66.75 **योग 80.58**	21.08	पूर्व का शेष 59.50 आबंटन 0.00 योग 59.50	59.50
डिपॉजिट वर्क्स	पूर्व का शेष 133.60 प्राप्त 104.33 **योग 237.93**	86.75	पूर्व का शेष 151.18 प्राप्त 114.97 **योग 266.15**	245.94	पूर्व का शेष 20.21 प्राप्त 166.72 **योग 186.93**	174.17
योग	**459.50**	**293.56**	**540.16**	**488.81**	**541.43**	**512.05**

– – – – –

परिशिष्ट चार

मध्यप्रदेश ईकोपर्यटन विकास बोर्ड

भारत वर्ष के हृदय स्थल में स्थित मध्य प्रदेश देश के अति संवेदनशील जलागम क्षेत्रों को आश्रय देता है। प्रकृति की अनमोल घटाओं से परिपूर्ण विंध्याचल, सतपुड़ा और मैकाल पर्वत श्रेणियों से सुसज्जित इस प्रदेश में अनेक प्राकृतिक रमणीय स्थल उपलब्ध हैं जहां नदियों का प्रवाह, झरनों का संगीत, पक्षियों का कलरव और स्वच्छ जलवायु का विस्तार मनुष्य को मंत्रमुग्ध कर देने की क्षमता रखता है। इन संसाधनों के साथ ऐतिहासिक धरोहर के अनन्य स्थल मध्य प्रदेश में ईकोपर्यटन की वृहद संभावनाओं के कारक हैं। ईकोपर्यटन के माध्यम से स्थानीय समुदायों के सतत रोजगार, आजीविका और उनके रहवास के संवहनीय विकास की भी असीमित संभावनाएं हैं।

ईकोपर्यटन के माध्यम से जन सामान्य में प्रकृति के संरक्षण के बीज सहजता से बोए जा सकते हैं। इस पृष्ठभूमि में वन संसाधन, स्थानीय समुदायों तथा प्रकृति पर्यटन में रुचि रखने वाले समुदायों को एक धागे में पिरोते हुए प्रदेश में देश का प्रथम बोर्ड – मध्यप्रदेश ईकोपर्यटन विकास बोर्ड जुलाई, 2005 में गठित किया गया।

बोर्ड में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, महाप्रबंधक एवं उपप्रबंधक पदस्थित हैं जो वन विभाग से प्रतिनियुक्ति पर आते हैं। बोर्ड में कार्यों का संचालन कार्यकारी समिति और साधारण सभा के माध्यम से किया जाता है। बोर्ड के विभिन्न जिलों में लिए गए कार्य क्षेत्रीय वन अधिकारियों द्वारा संपन्न किये जाते हैं। इन कार्यों में प्रमुख अधोसंरचना विकास, क्षमता विकास और प्रचार प्रसार के कार्य हैं। प्रदेश में 5 स्थलों पर नौकायन सुविधा उपलब्ध करायी गई है तथा ईकोपर्यटन की मूलभूत संरचनाएं विकसित की गई हैं। प्रदेश के सभी जिलों में बोर्ड द्वारा स्कूल विद्यार्थियों के लिये व्यापक ईकोपर्यटन अनुभव कार्यक्रम 'अनुभूति' आयोजित किया गया। प्रचार प्रसार की गतिविधियों में प्रदेश के प्रमुख गंतव्य स्थलों के विवरण, प्रशिक्षण मैन्युअल, पोस्टर, रेडियो जिंगल्स इत्यादि तैयार किये गये हैं।

प्रदेश में ईकोपर्यटन सुविधाओं के विकास के लिए मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम के समन्वय से भी नवीन प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही गंतव्य स्थलों के समन्वित विकास में हर्बल ईकोपर्यटन, साहसिक

क्रीड़ा, ट्रेकिंग, साईकलिंग, पक्षी दर्शन, एंगलिंग (मछली पकड़कर छोड़ना), स्थानीय वनस्पति की जानकारी, वन्यप्राणी दर्शन, बोटिंग, राफ्टिंग आदि गतिविधियां ली जा रही हैं। ईकोपर्यटन के माध्यम से स्थानीय समुदायों के रहवास ज्ञान, पारम्परिक विधाएं, संस्कृति, कला आदि का समग्र विकास भी किया जा सकेगा।

प्रथम चरण में ईकोपर्यटन विकास कार्य देलाबाड़ी (रातापानी अभ्यारण्य), ओरछा (टीकमगढ), कठौतिया (सीहोर), पचमढ़ी, केरवा, अमरकटंक, चंबल, रालामण्डल (इन्दौर) आदि स्थलों पर लिया गया। द्वितीय चरण में इंदौर जिले में जानापावकुटी, रालामण्डल तथा चोरल, सीहोर जिले में देलाबाड़ी, रायसेन जिले में भीमबैठका, होशंगाबाद जिले में मड़ई, शिवपुरी जिले में सांख्य सागर, मुरैना जिले में राजघाट, तथा बालाघाट जिले में गांगुलपारा बांध में ईकोपर्यटन गतिविधियां विकसित की गई हैं।

ईकोपर्यटन विकास बोर्ड अन्य विभागों के साथ समन्वय करते हुए प्रकृति संरक्षण के सिद्धान्तों के अंतर्गत निजी भागीदारी एवं निजी पूंजीनिवेश के सिद्धान्तों को भी अमल करने के लिए प्रयासरत है। संक्षेप में, बोर्ड का मुख्य उद्देश्य जन मानस में प्राकृतिक संसाधनों के प्रति आदर और संरक्षण की भावना प्रेरित करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये बोर्ड द्वारा उचित अवसरों पर कुछ महत्वपूर्ण नीतिगत विषय भी उठाए जा रहे हैं, जिनपर नीतिगत निर्णयों की आवश्यकता होगी।

पहल

ईकोपर्यटन विकास बोर्ड द्वारा किए जा रहे इस पहल के कुछ प्रयास निम्नानुसार हैं –

- ईकोपर्यटन नीति का निरूपण व भारत सरकार से समन्वय;
- भीमबैठका में इन्टरप्रिटेशन केन्द्र के लिए सर्वोच्च न्यायालय से अनुमति का प्रस्ताव;
- कार्य आयोजना में ईकोपर्यटन के समावेश की पहल;
- निजी पूंजी निवेश तथा ईकोपर्यटन संस्थागत करने की पहल एवं रुपरेखा निरूपण; तथा
- ईकोपर्यटन पर राष्ट्रीय कार्यशालाओं का आयोजन।

अन्य गतिविधियां

बोर्ड द्वारा कान्हा और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान तथा कूनो अभ्यारण्य पर फिल्म निर्माण किया गया। बोर्ड द्वारा संपन्न की गई अन्य गतिविधियां इस प्रकार हैं – वन विहार मित्रों के लिये पैरासेलिंग का आयोजन, प्रदेश के 50 वन समितियों के अध्यक्ष व सचिव का ईकोपर्यटन जागरूकता शिविर, विद्यार्थियों को वन्य प्राणी सप्ताह में ईकोपर्यटन अनुभव, वन्य प्राणी सप्ताह में वन विभाग को प्रचार सामग्री तैयार करने में सहयोग, तथा प्रदेश के 48 जिलों में 'अनुभूति' कार्यक्रम के माध्यम से 2,500 विद्यार्थियों को ईकोपर्यटन अनुभव।

इनके अतिरिक्त बोर्ड द्वारा आयोजित किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रम इस प्रकार हैं – राष्ट्रीय उद्यानों के गाईड्स का प्रशिक्षण, प्रदेश के वन विश्राम गृह सेवकों का मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम के होटल में

आतिथ्य सेवाओं पर प्रशिक्षण, प्रदेश के सभी जिलों के ईकोक्लब समन्वयकों का दो दिवसीय प्रशिक्षण, सभी एफ.एम. चैनल पर रेडियो जॉकी का रेडियो संबोधन में ईकोपर्यटन पर प्रशिक्षण, एड्युसैट के माध्यम से प्रदेश के बाघ रिजर्व के गाईड्स को, तथा वन विद्यालयों के प्रशिक्षणार्थियों को ईकोपर्यटन प्रशिक्षण, नौकायन के लिए श्रमिकों को नौका चालन व नौका रखरखाव का प्रशिक्षण, तथा सीहोर, देलाबाड़ी, चंबल व माधव राष्ट्रीय उद्यान में गाईड प्रशिक्षण।

योजनाएं

निकट भविष्य में बोर्ड की योजना निम्न कार्यों के क्रियान्वयन पर केन्द्रित रहने की है –

- जानापावकुटी, इंदौर में ईकोपर्यटन विकास कार्य
- चोरल (इंदौर) में पिकनिक स्थल का विकास
- देलाबाड़ी में ईकोपर्यटन कैम्प विकास
- स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के लिये आकाश दर्शन का आयोजन
- मोगली उत्सव, स्कूल शिक्षा विभाग के आयोजन में किट का प्रदाय
- मड़ई व सांख्य सागर के लिये नौका प्रदाय
- राष्ट्रीय चम्बल अभ्यारण्य में राजघाट, मुरैना में चंबल सफारी
- खण्डवा में ईकोपयर्टन के लिये टेन्ट और नाव का प्रदाय
- रीवा, शहडोल तथा जबलपुर वृत्त में ईकोपर्यटन संभावनाओं की खोज
- वन विहार भोपाल में सर्प पार्क विकास
- केरवा ईकोपार्क विकास
- मुरैना, देवरी में मार्ग सुविधाओं का विकास

– – – – –